JCI

भा प नि

वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2020-21

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
The Jute Corporation of India Limited

Independence Day being celebrated at the Head Office of the Corporation

Release of “Patsan Jyoti” the inhouse Hindi Magazine of JCI, during Hindi Pakhwada

Celebration of Commemoration of 50 Years of JCI at Head Office

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

50वीं वार्षिक रिपोर्ट

विषय-सूची

1.	विजन एवं मिशन	**2**
2.	बोर्ड के निदेशकगण एवं लेखापरीक्षा समिति	**3**
3.	अध्यक्ष की कलम से	**5**
4.	निदेशकों का रिपोर्ट	**9**
5.	पांच वर्षों की रूपरेखा	**36**
6.	क्षेत्रीय कार्यालय	**38**
7.	लेखापरीक्षक का रिपोर्ट	**39**
8.	लेखा पर सीएजी की टिप्पणियां	**52**
9.	तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण और तुलन-पत्र व लाभ-हानि विवरण के अभिन्न अंग की लेखा टिप्पणियां	**54**
10.	व्यापार का लेखा :	
	i अन्तर्देशीय कच्चा जूट-मूल्य समर्थन	**76**
	ii अन्तर्देशीय कच्चा जूट-वाणिज्यिक	**77**
	iii जूट बीज	**78**
	iv विविध जूट उत्पाद (सोनाली)	**78**

विजन

कच्चे जूट सेक्टर में पहल करने वाला होना, विशेष रूप से कृषकों के हितों और वृहत में अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना एवं विविध जूट व्यपार के क्रिया-कलाप जो दोहरे उद्देश्य आत्मनिर्भरता व धारणीय लाभप्रदत्ता के साथ पर्यावरण हितैषी है, के विकास पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की आवश्यकताएं पूरी करना।

मिशन

- इस देश के जूट/मेस्ता कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने के लिए भारत सरकार की नीति का कार्यान्वयन करना।
- कच्चे जूट सेक्टर में मूल्य स्थिरीकरण एजेंसी के रूप में कार्य करना और इस संबंध में आवश्यक उपाय करना।
- विभिन्न जूट संबंधी परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय अपनाना।

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार की संस्था)

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087

बोर्ड के निदेशकगण		
1.	श्री ए. के. जॉली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.02.2019)
2.	श्री संजय शरण	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली अंशकालिक अध्यक्ष और सरकारी नामित निदेशक (14.02.2019)
3.	श्री अमिताभ सिन्हा	निदेशक (वित्त) (10.12.2020)
4.	श्री गौरव कुमार	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक (08.12.2020)
5.	श्रीमती पूजा विधानी	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020)
6.	सुश्री शेरी लालथांगजो	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019 से 08.12.2020)
7.	डा. एस. के. पांडा	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018 से 08.08.2021)
8.	श्री सुवेंदु अधिकारी	अध्यक्ष (05.01.2021 से 01.03.2021)

लेखापरीक्षा समिति		
1.	श्रीमती पूजा विधानी	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020), अध्यक्षा
2.	श्री संजय शरण	संयुक्त सचिव, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019), सदस्य
3.	श्री गौरव कुमार	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक (08.12.2020), सदस्य
4.	श्री ए. के. जॉली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य
5.	डा. एस. के. पांडा	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018 से 08.08.2021)
6.	सुश्री शेरी लालथांगजो	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019 से 08.12.2020)

सीएसआर समिति		
1.	श्रीमती पूजा विधानी	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (19.02.2020), अध्यक्षा
2.	श्री गौरव कुमार	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक (08.12.2020), सदस्य
3.	श्री ए. के. जॉली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.02.2019), सदस्य
4.	श्री अमिताभ सिन्हा	निदेशक (वित्त) (10.12.2020)
5.	डा. एस. के. पांडा	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक (09.08.2018 से 08.08.2021)
6.	सुश्री शेरी लालथांगजो	आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली (14.02.2019 से 08.12.2020)

श्री ए. साहा	कंपनी सचिव (03.08.2016)

लेखापरीक्षक	मेसर्स एस.के. मल्लिक एंड कं., सनदी लेखाकार, बिकानेर बिल्डिंग्स (1ला तल), 8-बी, लालबाजार स्ट्रीट, कोलकाता-700 001, पश्चिम बंगाल, भारत
पंजीकृत कार्यालय	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700 087 वेबसाइट : www.jutecorp.in, ई-मेल : jci@jcimail.in

श्री ए. के. जॉली
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री गौरव कुमार
आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली, सरकारी नामित निदेशक

श्रीमती पूजा विधानी
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

श्री अमिताभ सिन्हा
निदेशक (वित्त)

अध्यक्ष की कलम से

प्रिय सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के बोर्ड के निदेशकगण की ओर से निगम की 50वीं वार्षिक साधारण सभा के अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है।

यह वास्तव में बहुत गर्व और खुशी की बात है कि निगम ने राष्ट्र की सेवा में 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर लिये हैं और मुझे विश्वास है कि यह आने वाले कई वर्षों तक ऐसा करता रहेगा। इस अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिनके अन्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहने के बावजूद समय निकालकर निगम की 50वीं वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित हुए।

मैं वित्तीय वर्ष 2020-2021 के दौरान निगम के कार्य-निष्पादन के महत्वपूर्ण पहलुओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर रहा हूं:

वित्तीय परिणाम

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगम ने कर के उपरांत 1215.23 लाख रुपये का लाभ किया है। यह कर के उपरांत विगत वर्ष के लाभ से कम है। यह मुख्य रूप से गैर/नगण्य एमएसपी की स्थिति होने की वजह से विगत वर्ष की तुलना में कम कारोबार के कारण है।

बाजार का परिदृष्य

2019-20 से लाये गये 18.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2020-21 का प्रारंभ हुआ। जूट सलाहकार बोर्ड (जेएबी) द्वारा किये गये फसल के आकलन के आधार पर कच्चे जूट का कुल उत्पादन 72 लाख गांठ (180 कि.ग्रा. प्रति गांठ) होने का पूर्वानुमान था। भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 275/- रुपये (रु.3950/- - रु.4225/-) की बढ़ोत्तरी की गई। फिर भी वर्ष 2019-20 के वास्तविक उत्पादन 68 लाख गांठ की तुलना में इस वर्ष वास्तविक उत्पादन पूर्वानुमान से कम रहा एवं 58 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से 3.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 65 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 66 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। अनुमानित अधिशेष 27.40 लाख जूट गांठ था। हालांकि फसल वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक अग्रेषण 3.00 लाख गांठ है। फसल की कीमत पूरे फसल वर्ष के दौरान एमएसपी से अधिक रहा और यहां तक कि दक्षिण बंगाल में कच्चे जूट के टीडी5 ग्रेड के लिए लगभग 8500/- रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम मूल्य तक पहुंच गया। जिसके परिणामस्वरूप संबंधित फसल वर्ष के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत लगभग 8000 क्विंटल की खरीद हुई। जैसाकि ऊपर बताया गया है, जेएबी के पूर्वानुमान और वास्तविक उत्पादन के बीच काफी अंतर था। इसके लिए जूट उगाही राज्यों में अत्यधिक बारिश और पश्चिम बंगाल में विनाशकारी तूफान, "अम्फान" को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव जारी रहने के कारण फसल वर्ष 2020-21 में स्थिति और जादा बदत्तर रही।

आगामी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में 15-20% की बढ़ोत्तरी हुई है जिससे कुल उत्पादन लगभग 90 लाख गांठ तक होने की उम्मीद है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने अखिल भारतीय स्तर पर टीडीएन-3 (टीडी5 के स्थान पर) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए 4225/- रुपये प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2019-20 के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 275/- रुपये प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी के आधार पर कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों एवं श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

निगम ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत 8069 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन

निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के समझौता ज्ञापन के लिए 'अच्छा' श्रेणी प्राप्त किया है। समझौता ज्ञापन 2020-21 का स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से लोक उद्यम विभाग के पास जमा किया गया है एवं उसकी श्रेणी का अभी इंतजार है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निगम का कार्य-निष्पादन काफी संतोषजनक रहा है।

कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

चूंकि निगम विगत कई वर्षों से लगातार लाभ कर रहा है इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में अनिवार्य रूप से सीएसआर क्रिया-कलाप करना पड़ता है। अपने सीएसआर की पहल के अंतर्गत अपनाये जाने वाले क्रिया-कलापों की पहचान करते वक्त मौजूदा सीएसआर नीति को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा समय-समय पर भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय (सार्वजनिक उपक्रम विभाग) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE) के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशानिर्देशों को भी प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगम ने सीएसआर समिति द्वारा चिह्नित 5 आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य देखभाल संबंधित क्रिया-कलापों के परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत रकम खर्च किया है, इस संबंध में डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास की परियोजनाओं के लिए भी रकम खर्च किया गया है। निगम ने "सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष" में भी दान दिया है। अपने सीएसआर क्रिया-कलाप के अंतर्गत निगम ने निफ्ट के सहयोग से जेडीपी को समर्थन देने के लिए डिजाइन विकास परियोजना को भी वित्तीय सहयोग किया है।

विगत वर्ष की परियोजनाओं की सफलता से प्रेरित होकर निगम ने समीक्षाधीन वर्ष में महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजीज) के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास हेतु दो नई परियोजनाएं चालू की थी। सरकारी होस्पिटलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु सीएसआर परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के अपने विगत वर्ष के प्रयासों के अलावा वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 5 नए जिलों में ऐसी परियोजनाएं चालू की गई है। विगत वर्ष की भांति इस उद्देश्य के लिए पांच होस्पिटलों में से प्रत्येक होस्पिटल हेतु 5 लाख रुपये आवंटित किए गए थे। उपरोक्त राशि का जिलेवार उपयोग करने का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

राज्य	जिला	होस्पिटल	उद्देश्य
असम	दर्रंग	जिला स्वास्थ्य समिति	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन।
	गोआलपाड़ा	जिला होस्पिटल	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधा की मरम्मत और नवीकरण, उपकरणों की खरीद, सामग्री और विद्युतीकरण।
बिहार	कटिहार	जिला स्वास्थ्य सोसायटी	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन।
	पूर्णिया	सदर होस्पिटल	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन।

नोट: वित्तीय वर्ष समाप्त होने के उपरांत विजयनगरम्, आंध्रप्रदेश में डिस्ट्रिक्ट जनरल होस्पिटल में 5वीं परियोजना के लिए धनराशि जारी की गई है।

कार्पोरेट गोवर्नेन्स

कंपनी अधिनियम, 2013 पर आधारित मौजूदा कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यास एवं सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स संबंधित नवीनतम दिशानिर्देशों का निगम द्वारा पालन किया जाता है जो स्वभाविक रूप से अनिवार्य है क्योंकि निगम सीपीएसई है। कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स से संबंधित विस्तृत रिपोर्ट निदेशक के रिपोर्ट में दी गई है।

निगम अपने क्रिया-कलापों में अधिकतम पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है, विशेष रूप से नए कंपनी अधिनियम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स की अवधारणा को महत्व एवं सार्थकता का नया स्तर दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने निगम के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की है जिनके कुशल मार्गदर्शन ने निगम को अधिक पेशेवर और अग्रगामी तरीके से अपने कॉर्पोरेट गोवर्नेन्स अभ्यासों को मजबूत करने में मदद किया है एवं अपने निर्णय लेने में अधिक वस्तुनिष्ठता प्रदान की है।

लाभांश

भारत सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण ने अपने शेयरहोल्डर अर्थात् भारत सरकार को प्रति शेयर 72.92 रुपये (विगत वर्ष 92.40 रुपये) के हिसाब से लाभांश के भुगतान की संस्तुति करने पर विचार किया है। लाभांश के रूप में रु.3,64,60,000/- (विगत वर्ष रु.4,62,00,000/-) व्यय होगा। हालांकि लाभांश का भुगतान निगम के आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

इसके उपरांत बोर्ड ने सलाह दी कि डीआईपीएएम, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों का पालन करते हुए भारत सरकार को लाभांश का भुगतान करें। शेयरधारकों ने बोर्ड की संस्तुति से सहमति जताई और लाभांश के भुगतान के लिए डीआईपीएएम के निदेशों का अनुपालन करने की सलाह दी।

तदनुसार उसके अनुपालन में डीआईपीएएम के निदेशानुसार निगम ने भारत सरकार, अपने एकमात्र शेयरधारक को 155.24 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भुगतान किया अर्थात् अपने शुद्ध मूल्य का 5% 7.76 करोड़ रुपये।

मानव संसाधन प्रबंधन

निगम लगातार प्रशिक्षण एवं कार्यावर्तन के माध्यम से अपने कर्मचारियों के कौशल एवं क्षमता को निखारने का प्रयास कर रहा है। चूंकि

मानव संसाधन निगम का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है इसलिए उनको पोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है और उन्हें उनकी क्षमता का प्रदर्शन करने एवं इससे भी ऊपर उठने में मदद की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने विभिन्न क्षेत्रों जैसे एचआर एनालिटिक्स, वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक नियम एवं प्रक्रियाएं, आचरण और सीसीए नियम, दक्षता में बढ़ोत्तरी, पीओएसएच, सृजनात्मक संचार आदि में अपने कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

आगे की ओर देखना

बदलते समय में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने और सर्वोत्तम संभव तरीके से राष्ट्र की सेवा करने के लिए निगम खुद को पुनर्रचित करने का निरंतर प्रयास करता है। इस खोज में यह बदलते समय की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने क्रिया-कलापों में विविधता लाने में विश्वास रखता है। जैसाकि विगत रिपोर्टों में बताया गया था कि राजस्व सृजन के वैकल्पिक स्रोतों के लिए अपने निरंतर प्रयास में निगम ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में प्रसादम् के वितरण के लिए एल्यूमीनियम लेपित पर्यावरण हितैषी जूट बैग बेचने की परियोजना शुरू की है जिसकी प्रारंभिक प्रत्युत्तर बहुत उत्साहजनक रहा। तत्पश्चात् कोविड-19 महामारी के कारण कारोबार में गिरावट आई। हालांकि कोविड-19 की स्थिति में सुधार के साथ-साथ व्यवसाय में एकबार फिर सुधार के संकेत मिल रहे हैं और यह आशा की जाती है कि आने वाले समय में निगम की टीटीडी परियोजना और मज़बूत होती जाएगी।

जैसाकि सूचित किया गया था कि युक्ततम डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग करते हुए पैन इंडिया के आधार पर फ्रेंचाइजी नियुक्त करते हुए ई-कॉमर्स सहित जेडीपी के विपणन के लिए अन्य चैनलों का भी पता लगाया जा रहा है। इन सभी क्रिया-कलापों को कोविड-19 महामारी के कारण अस्थायी झटका लगा था। हालांकि कोविड की स्थिति में सुधार के साथ-साथ चीजें जल्द ही पटरी पर आ जाएंगी।

निगम का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अपने वैकल्पिक राजस्व सृजन योजना के अंतर्गत जूट बीजों के जेआरओ-204 किस्म का वाणिज्यिक वितरण है।

जैसाकि विगत रिपोर्टों में बताया गया है कि निगम ने जियो-टेक्सटाइल्स एवं एग्रो-टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में भी कदम रखा है। जिसके कारोबार में निकट भविष्य में तेजी आने की उम्मीद है।

इसके अलावा, निगम ने विशेष रूप से जूट कृषकों एवं सामन्य रूप से जूट अर्थव्यवस्था के समग्र हितों के लिए एनजेबी के जूट आई-केयर परियोजना को कार्यान्वित करने की अपनी जिम्मेदारियों को जारी रखा है।

मुझे आशा है कि अपने स्वर्णिम वर्ष में निगम अपनी सभी योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने में सक्षम होगा और आने वाले कई वर्षों तक विशेष रूप से जूट कृषकों और सामान्य रूप से राष्ट्र के हितों की सेवा करता रहेगा।

अभिस्वीकृति

मैं वस्त्र मंत्रालय, जूट आयुक्त के कार्यालय, राष्ट्रीय जूट बोर्ड और अन्य सभी जूट से संबंधित निकायों के अधिकारियों को निगम के क्रिया-कलापों के लिए उनके पूर्ण समर्थन और संरक्षण हेतु कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं।

(संजय शरण)
अध्यक्ष

निदेशकों का रिपोर्ट वर्ष 2020-21

प्रिय शेयरधारीगण,

निगम ने राष्ट्र की सेवा में 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे कर लिये हैं और मेरे लिए बोर्ड के निदेशकगण की ओर से आपके समक्ष निगम के कार्य-निष्पादन से संबंधित 50वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट एवं 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षित लेखों एवं उस पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना वास्तव में बहुत सम्मान की बात है।

उपरोक्त दर्शाये गये अवधि के दौरान निगम के कार्यों का मुख्य क्रिया-कलाप नीचे दर्शाये जा रहे हैं:

1. कच्चे जूट की मांग-आपूर्ति का परिदृश्य

2019-2020 से लाये गये 18.00 लाख गांठ जूट से फसल वर्ष 2020-21 प्रारंभ हुआ। जूट सलाहकार बोर्ड (जेएबी) द्वारा फसल की संभावना पर आधारित कच्चे जूट का कुल उत्पादन 72 लाख गांठ (प्रत्येक 180 कि.) होने का पूर्वानुमान था। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 275 रु. (रु.3950 – रु.4225) की बढ़ोत्तरी हुई जैसाकि भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। मगर वास्तविक उत्पादन पूर्वानुमान से कम हुआ एवं वर्ष 2019-20 के वास्तविक उत्पादन 68 लाख गांठ की तुलना में 58 लाख गांठ रहा। बंग्लादेश से 3.00 लाख गांठ जूट का आयात किया गया। इसमें से अनुमानित मिल खपत 65 लाख गांठ की जगह वास्तविक मिल खपत 66 लाख गांठ और घरेलू खपत 10 लाख गांठ रहा। अनुमानित अधिशेष 27.40 लाख जूट गांठ था। हालांकि फसल वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक में 3.00 लाख जूट गांठ लाया गया। पूरे फसल वर्ष के दौरान फसल मूल्य एमएसपी से अधिक रहा यहां तक कि दक्षिण बंगाल में सदैव कच्चे जूट के टीडी5 श्रेणी का मूल्य करीब 8500 रु. प्रति क्विंटल से अधिक रहा। जिसके परिणामस्वरूप संबंधित फसल वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत लगभग 8000 क्विंटल जूट की खरीद हुई। जैसाकि ऊपर बताया गया है, जेएबी के पूर्वानुमान और वास्तविक उत्पादन के बीच काफी अंतर था। इसके लिए जूट उगाही वाले राज्यों में अत्यधिक बारिश और पश्चिम बंगाल में विनाशकारी तूफान, "अम्फान" को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव जारी रहने के कारण फसल वर्ष 2020-21 में स्थिति और जादा बदत्तर रही।

आगामी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान कच्चे जूट की खेती के क्षेत्र में 15-20% की वृद्धि हुई है जिससे कुल उत्पादन का स्तर लगभग 90 लाख गांठ तक बढ़ने की उम्मीद है।

2. क्रिया-कलाप की समीक्षा

2.1 न्यूनतम समर्थन मूल्य का क्रिया-कलाप

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष के आधार पर टीडीएन-3 (टीडी-5 के जगह) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की संस्तुति की जिसे भारत सरकार ने फसल वर्ष 2020-21 के लिए 4225 रु. प्रति क्विंटल स्वीकार कर लिया। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य फसल वर्ष 2019-20 के न्यून्तम समर्थन मूल्य से 275 रु. प्रति क्विंटल अधिक था। इस क्रम में पटसन आयुक्त के कार्यालय ने घोषित एमएसपी पर आधारित कच्चे जूट के विभिन्न किस्मों और श्रेणियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया।

31 मार्च, 2021 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2020-21 के एमएसपी क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
8069	**329**

2.2 वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

31 मार्च, 2021 तक के वार्षिक लेखा के अनुसार वर्ष 2020-21 के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त ब्यौरा निम्न प्रकार है:

क्रय की मात्रा (क्विं. में)	क्रय मूल्य (रु. लाख में)
1,54,312	**8474**

3. वित्तीय समीक्षा

3.1 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम ने एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 8069 क्विं. एवं वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत 1,54,312 क्विं. कच्चे जूट की खरीद की।

3.2 वर्ष 2020-21 के दौरान निगम का कुल कारोबार 15,497.85 लाख रु. का रहा। परिचालन परिणाम यह दर्शाता है कि कर एवं सभी बंधे खर्च, भाड़ा, बीमा, ब्याज, मूल्यह्रास और सेवानिवृत कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ के प्रावधान चार्ज करने के उपरांत शुद्ध लाभ 1215.23 लाख रु. हुआ है। प्रस्तावित लाभांश पर विचार करने और आरक्षित एवं अधिशेष में शेष लाभ को हस्तांतरित करने के उपरांत वर्ष के अंत में तुलन-पत्र के खाते में 15023.61 लाख रु. दर्शाया गया है।

3.3 विगत वर्ष के लाभ राशि 1539.55 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष कर के उपरांत 1215.23 लाख रु. का लाभ हुआ है।

3.4 2020-21 में कंपनी का अर्जित प्रति शेयर (अंकित मूल्य 100 रु.) विगत वर्ष की राशि 308 रु. की तुलना में 243 रु. है।

3.5 निगम के पास प्रत्येक वर्ष 150 करोड़ रु. से अधिक का समुचित कच्चे जूट का कारोबार करने के लिए आधारभूत ढांचा एवं आवश्यक कार्यकारी पूंजी सीमा है।

3.6 प्रस्तावित लाभांश विगत वर्ष की राशि 462 लाख रु. की तुलना में 346.60 लाख रु. है।

समीक्षाधीन इस वर्ष के वित्तीय परिणाम को **परिशिष्ट-'ए'** में दिखाया गया है।

4. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप के लिए निगम के आधारभूत ढांचा के रख-रखाव हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना

जैसाकि आप जानते हैं, निगम कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए भारत सरकार का नोडल एजेंसी है। इसकी

स्थापना अप्रैल, 1971 में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर मुख्य रूप से जूट कृषकों के हितों की रक्षा करने के लिए हुई एवं जूट कृषकों व संपूर्ण जूट अर्थव्यवस्था के हितों के लिए कच्चे जूट के बाजार मूल्य को संभव सीमा तक स्थिर करने के लिए भी हुई।

सरकार निगम को बुनियादी ढांचे के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता का वार्षिक अनुदान प्रदान करता है और इसके बंधे खर्च को पूरा करता है ताकि जब भी एमएसपी की स्थिति उत्पन्न हो तो निगम एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए सदैव तैयार रहे।

आपको यह जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने आगामी 5 वित्तीय वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2025-26 के लिए निगम को 245.87 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है।

5. समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2020-21

यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि निगम ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के समझौता ज्ञापन के लिए 'अच्छा' ग्रेड प्राप्त किया है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू) 2020-21 के अंतर्गत निगम को अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलिखित को पूरा करने की जिम्मेदारी है:

(ए) अन्य पैरामीटर

(i) दिनों की संख्या के संदर्भ में खुले जूट से थोक गांठ बनाने के लिए परिचालन समय: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खुले जूट से थोक गांठ बनाने का परिचालन समय 19 दिन रहा।

(ii) प्रतिशत के रूप में कच्चे जूट की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि (समग्र आधार पर)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कच्चे जूट की खरीद में निगम की बाजार हिस्सेदारी में विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 11.5% की वृद्धि हुई। वर्तमान में निगम का बाजार हिस्सा 1.67% है।

(iii) परिचालन से राजस्व के दिनों की संख्या के रूप में व्यापार प्राप्य (शुद्ध) – वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनों की संख्या 19 दिन रहा।

(iv) तैयार वस्तुओं की वस्तुसूची और परिचालन से राजस्व की डब्ल्यूआईपी (शुद्ध) - वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान दिनों की संख्या 40 दिन रहा।

(बी) अन्य क्षेत्र विशिष्ट परिणाम उन्मुख मापनीय पैरामीटर्स:

(i) कुल भुगतान की प्रतिशतता के संदर्भ में 3 कार्य दिवस के अंदर कृषकों को भुगतान – प्राप्त कर चुका है।

(ii) परिचालन से राजस्व की प्रतिशतता के रूप में जूट विविध उत्पाद से राजस्व (%) - जेडीपी से अर्जित राजस्व की प्रतिशतता परिचालन से कुल राजस्व का 1.29% था।

(iii) विगत वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान वस्तुओं की कुल खरीद और सेवाओं के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं की खरीद और सेवाओं का प्रतिशतता 37.80% रहा।

उपरोक्त के अलावा वर्ष 2020-21 के लिए अन्य सभी एमओयू लक्ष्यों के मूल्यांकन मानदंड को संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए निगम के वार्षिक लेखा में दर्शाया गया है।

निदेशकगण इस बात को लेकर काफी आशान्वित हैं कि निगम द्वारा जेडीपीज, जेजीटीज और जेएटीज के प्रत्यक्ष और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर विपणन व फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से अपनी वैकल्पिक व्यावसाय की खोज और मजबूती के लिए की गई कड़ी मेहनत का फल निकट भविष्य में मिलेगा और निगम का वित्तीय कार्य-निष्पादन विगत वर्षों की तुलना में बेहतर होगा। इसके अतिरिक्त चालू फसल वर्ष के दौरान अधिक एमएसपी सीजन का अनुमान है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान इसकी व्यावसायिक योजनाओं को भी गति देगा।

6. जूट विविध उत्पादों (जेडीपीज) के विपणन के लिए वाणिज्यिक क्रिया-कलाप

जैसाकि पिछले रिपोर्ट में बताया गया था, निगम ने तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) में प्रसादम् के वितरण के लिए एल्यूमीनियम लेपित जूट बैग की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। निगम ने समीक्षाधीन वर्ष में उक्त व्यावसायिक क्रिया-कलाप जारी रखे हुए है। हालाँकि चल रही महामारी के कारण तीर्थयात्रियों की यात्राओं में भारी कमी आई है और इसलिए व्यापार की मात्रा में भी कमी आई है।

जेडीपीज के विपणन के लिए विपणन के अन्य चैनलों का पता लगाया जा रहा है जिसमें ई-कॉमर्स, पैन इंडिया के आधार पर फ्रेंचाइजिज नियुक्त करना और डिजिटल मार्केटिंग का इष्टतम स्तर पर उपयोग करना शामिल है। वास्तव में सात फ्रेंचाइजिज ने पंजीकरण कराया है जिनमें से केवल एक ने भापनि से पहली खेप लेकर व्यवसाय प्रारंभ किया है। हालाँकि महामारी ने उन्हें उनके व्यावसायिक क्रिया-कलाप प्रारंभ करने से रोक दिया है। एक नया जेडीपी अनुभाग पहले चालू किया गया था और वे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को पुनर्जीवित करने का भी प्रयास कर रहे हैं।

निगम ने जियो-टेक्सटाइल्स और एग्रो-टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी कुछ व्यवसाय किया है जिसकी राशि क्रमशः 58 लाख रु. और 74.7 लाख रु. है। यह उच्च क्षमता वाले व्यवसाय का क्षेत्र है और निगम सभी संभावनाएं तलाश रहा है।

7. सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण

देश के लाखों जूट कृषकों अधिकतम छोटे एवं मार्जिनल के हितों की रक्षा करने के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की अवधारणा दशकों से प्रचलित है। इस योजना के अंतर्गत निगम द्वारा कच्चे जूट की खरीद की जाती है जब चालू बाजार मूल्य उपरोक्त घोषित एमएसपी पर रहता है या उससे कम रहता है। सरकार ने निगम को यह एमएसपी क्रिया-कलाप करने की जिम्मेदारी सौंपी है। निगम देश में कच्चे जूट का एमएसपी क्रिया-कलाप करने के लिए नोडल एजेंसी है। इस वित्तीय वर्ष में प्राकृतिक आपदाओं (चक्रवात अम्फान) के कारण जूट की फसल को भारी नुकसान हुआ था जिसके परिणामस्वरूप जूट की भारी कमी और बाजार में कीमत आसमान छू रही थी। इसलिए नगण्य एमएसपी के बावजूद कृषकों को अधिक लाभकारी मूल्य मिला। उपरोक्त के अलावा निगम विभिन्न परियोजनाएं भी चलाता है। निगम ने सोनाली नामक एक आउटलेट स्थापित किया है जिसके माध्यम से वंचित महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण कारीगरों के जूट आधारित हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाता है जिनके पास अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का कोई साधन नहीं है। निगम ने प्रमाणित जूट बीज के वितरण में भी पहल की है। इसके अलावा निगम ने जूट आई-केयर (जूट : बेहतर खेती और उन्नत रेटिंग अभ्यास) परियोजना के कार्यान्वयन वाले भाग को भी हाथ में लिया है जिसका कार्य-निष्पादन एनजेबी के तत्वाधान में किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य बेहतर मूल्य प्राप्ति और मूल्यवर्धन के लिए उत्पादकता और फाइबर की गुणवत्ता में सुधार करते हुए कच्चे जूट के उत्पादन की लागत को कम करना है। इस परियोजना में शामिल उन्नत कृषि विज्ञान पद्धतियां हैं - बीज ड्रिल का उपयोग करते हुए लाइन बुवाई, एक यांत्रिक नैल-वीडर द्वारा जूट की फसल में खरपतवार प्रबंधन और उसमें शामिल श्रम लागत को कम करने के लिए हैंड वीडर के बजाय साइकिल वीडर और गुणवत्ता वाले प्रमाणित जूट बीजों का वितरण करना।

इस परियोजना के अंतर्गत पंजीकृत जूट कृषकों को निम्नलिखित सहयोग का विस्तार किया गया है:

i) बहुत अधिक अंकुरण दर एवं अधिक उत्पादकता वाले 100% प्रमाणित जूट बीज प्रदान करना।

ii) बीज ड्रील, नैल वीडर/साइकिल वीडर का उपयोग करते हुए यांत्रिक हस्तक्षेप के साथ कृषकों के खेतों में अपनाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से जूट की खेती प्रथा का प्रदर्शन।

iii) रेशे की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्राइजाफ सोना, एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम (नि:शुल्क) का उपयोग करते हुए माइक्रोबियल रेटिंग का प्रदर्शन/वितरण।

इस परियोजना के अंतर्गत 2015 से प्रत्येक वर्ष चरणबद्ध ढंग से क्रिया-कलाप किये जा रहे थे।

वर्ष 2020-21 के दौरान आई-केयर के चरण-VI के अंतर्गत की गई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	ब्यौरा	क्रिया-कलाप
1.	कवर किये गये जूट उगाने वाले ब्लॉक/राज्य की सं.	पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय, आंध्र प्रदेश एवं त्रिपुरा के अंतर्गत 130 ब्लॉक।
2.	जमीन कवर किया गया (हेक्टर)	110893
3.	कवर किये गये कृषकों की संख्या	258324
4.	प्रमाणित जूट बीज प्रदान किया गया (मीट्रिक टन में) जेआरओ-204 और जेबीओ-2003एच किस्म	604 मीट्रिक टन
5.	बीज ड्रील मशीन	2550+600(नया) = 3150 मशीन
6.	नैल वीडर मशीन	2850+900(नया) = 3750 मशीन
7.	क्राइजाफ सोना (मीट्रिक टन)	500 मीट्रिक टन
8.	प्रत्येक पंजीकृत कृषक को एसएमएस भेजा गया	क्राइजाफ द्वारा जारी एडवाइजरी कृषकों के बीच वितरित किया गया।
9.	बुवाई और रेटिंग का प्रदर्शन	300

8. प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण

(ए) उद्योग ढांचा और विकास

भापनि द्वारा शासित एमएसपी दरों का प्रावधान कच्चे जूट के बाजार एवं जूट उद्योग का मुख्य आधार है। कीमतों में गिरावट के मामूली संकेत आने पर कृषकों को एमएसपी का सहायता प्रदान करने में भापनि सक्रिय कार्रवाई करता है। फसल वर्ष 2020-21 में कच्चे जूट का बाजार मूल्य वर्ष के अधिकांश समय में एमएसपी से अधिक रहा। चूंकि प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का महत्वपूर्ण हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था इसलिए बाजार में फसल की कमी हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप कीमत आसमान छू रहा था। जिसके परिणामस्वरूप निगम एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत लगभग 8069 क्विंटल कच्चे जूट की खरीद कर सका। इसके साथ ही निगम ने वाणिज्यिक रूप से 154312 क्विंटल जूट की सफलतापूर्वक खरीद करने का भी प्रयास किया। वास्तव में वाणिज्यिक क्रिया-कलाप ने निगम को कुछ लाभ भी दिया।

(बी) सुअवसर एवं खतरा/जोखिम व इससे संबंधित

सुअवसर

- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध की घोषणा करने से जूट कैरी बैग का प्रसार करने के लिए एक बहुत बड़ा सुअवसर है।
- तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम् (टीटीडी) : हालांकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोविड-19 महामारी के कारण टीटीडी लड्डू कॉम्प्लेक्स में बिक्री में झटका लगा है लेकिन कोरोना की स्थिति धीरे-धीरे सामान्य होने के साथ चीजों में सुधार होना तय है। बड़े पैमाने पर जनता के बीच पर्यावरण हितैषी जूट बैग के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ने से निगम को निकट भविष्य में अपनी खोई हुई आधार को वापस पाने में मदद मिलेगी और लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ कारोबार में वृद्धि होगी।
- जियो टेक्सटाइल्स और एग्रो टेक्सटाइल्स व्यवसाय को पहले ही उत्साहजनक प्रत्युत्तर मिल चुका है और निगम दोनों वर्टिकल में कुछ व्यवसाय सृजित करने में सफल रहा है।
- पारंपरिक एमएसपी क्रिया-कलाप को बढ़ाने के लिए भापनि ने अपनी ओर से खरीद करने के लिए सरकारी समितियों को काम पर लगा रहा है जिससे परिमाण एवं कुल कारोबार दोनों ही बढ़ रहे हैं।
- जेडीपी का वितरण एवं कच्चे जूट के वाणिज्यिक क्रिया-कलाप निगम के लिए व्यवहार्य व्यवसाय के रूप में उभरे हैं।
- निगम ने जूट के बीजों के वाणिज्यिक वितरण में भी कदम रखा है।

जोखिम एवं संबंधित/खतरा

- जबकि शासनादेश के अनुसार भापनि एमएसपी क्रिया-कलाप के अंतर्गत सभी प्रकार के कच्चे जूट की खरीद करने के लिए बाध्य है जिसमें निम्न श्रेणी शामिल है, लेकिन इसका निपटान करते समय मिलें इस बहाने निम्न श्रेणी के जूट लेने के लिए अनिच्छुक हैं कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित विनिर्देश के अनुसार इसका उपयोग बी.ट्वील बैग बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है।
- सेवानिवृत्ति के कारण प्रशिक्षित कार्मिकगण निरंतर कम होते जा रहे हैं। सभी प्रयास के बावजूद फील्ड स्तर पर भर्ती अभी तक सफल नहीं हुई है। डीपीसी का प्रचालन करना एक प्रमुख मुद्दा है।
- मौजूदा गोदाम भाड़ा बहुत कम हैं और मालिकगण अधिक भाड़ा की मांग कर रहे हैं या अपने परिसर को छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में गोदाम को बनाए रखना दिन-प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि मालिकगण किराए के लिए चालू बाजार दरों की मांग कर रहे हैं।

(सी) दृष्टिकोण

निगम ने कृषकों द्वारा एमएसपी पर प्रस्तावित होने वाले सभी कच्चे जूट की खरीद एवं भंडारण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं। निगम आने वाले वर्षों में अपने समग्र कार्य-निष्पादन को उन्नत करने के लिए सभी तरह के प्रयास निरंतर करता रहेगा।

निगम आत्मनिर्भरता के लिए अपने व्यवसाय का विस्तार करने के तरीके और साधन भी तलाशेगा।

(डी) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उसकी उपयुक्तता

निगम ने दक्ष संसाधन, लागत नियंत्रण, सांविधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन और वित्तीय रिपोर्ट की विश्वासनीयता को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत और व्यापक विकास किया है। लेखापरीक्षा समिति निगम के आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय कार्य-निष्पादन की समीक्षा करती है एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने का सुझाव देती है।

(ई) परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर चर्चा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वित्तीय निष्पादन का महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्न प्रकार हैं:

- विगत वर्ष के दौरान 5624.09 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 328.67 लाख रु. का रहा।
- विगत वर्ष के दौरान 1363.89 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत कच्चे जूट का क्रय 8473.81 लाख रु. का रहा।
- विगत वर्ष के दौरान 8548.20 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान एमएसपी के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 1165.98 लाख रु. का रहा।
- विगत वर्ष के दौरान 3624.85 लाख रु. की तुलना में इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक क्रिया-कलाप के अंतर्गत क्रय किये गये कच्चे जूट का विक्रय 9487.66 लाख रु. का रहा।
- समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगम का लाभ (कर से पहले) 529.59 लाख रु. कम गया (2019-20 में 2129.03 लाख रु. से 2020-21 में 1599.44 लाख रु.)। यह मुख्यत: गैर/नगण्य एमएसपी की स्थिति होने की वजह से विगत वर्ष की तुलना में कम कारोबार के कारण है।

(एफ) मानवीय श्रोत एवं औद्योगिक संबंध

निगम ने अपने कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने और उनके वर्तमान कार्य में उन्हें अधिक संसाधन युक्त बनाने के साथ-साथ भविष्य में भूमिका हेतु उन्हें तैयार करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यवर्तन के माध्यम से अपना प्रयास जारी रखा है। इस संबंध में निगम मानव संसाधन के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने एवं निखारने के लिए लगातार विविध विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

(जी) सतर्कता विवरण

रिपोर्ट के इस भाग में दी गई विवरण मानी हुई बात एवं आगे की घटनाओं की उम्मीद पर आधारित है। फिर भी वास्तविक परिणाम दर्शाये अथवा कार्यान्वित किये गये से भिन्न हो सकते हैं। महत्वपूर्ण कारक जो भिन्न बना सकता है उसमें सरकार द्वारा निगम को वित्तीय सहयोग में परिवर्तन, सरकारी विनियम में परिवर्तन, उद्योग में औद्योगिक संबंध का माहौल एवं अन्य कारक जैसे मुकदमेबाजी शामिल हैं।

9. कार्पोरेट का सामाजिक उत्तरदायित्व

निगम एक लाभकारी संगठन होने के नाते वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए बाध्य है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है।

निगम ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुपालन में एक सीएसआर समिति का गठन किया है जिसमें समिति के अध्यक्ष के रूप में डा. एस.के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक और इसके सदस्य के रूप में श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय, श्री अजय कुमार जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भापनि एवं श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त), भापनि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुपालन में गणना के अनुसार 46.17 लाख रु. खर्च करना था। दिए गए बजट के अंदर प्रस्तावित क्रिया-कलापें जैसाकि सीएसआर समिति द्वारा संस्तुति की गई थी और तदनुपरांत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	क्रिया-कलाप	राशि (रु. लाख में)
1.	सीएसआर से संबंधित डीपीई के दिशा-निदेशों के अनुसार सीएसआर समिति द्वारा चिह्नीत 05 आकांक्षात्मक जिलों में स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित क्रिया-कलाप के लिए सीएसआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन (5 जिला जिसमें से प्रत्येक जिला को 5 लाख रु. के हिसाब से)।	25.00
2.	जूट विविध उत्पाद (जेडीपी) के उपत्पादन में कौशल विकास हेतु परियोजनाएं (2 संगठन जिसमें से प्रत्येक को 5 लाख रु. के हिसाब से)	10.00
3.	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	2.00
4.	निफ्ट के सहयोग से जेडीपी को समर्थन देने के लिए डिजाइन विकास हेतु परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव।	7.50
5.	अन्य विविध खर्च हेतु	1.67
	कुल	**46.17**

विगत वर्ष के परियोजनाओं की सफलता से प्रेरित होकर निगम ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसजीज) के लिए जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास हेतु दो नई परियोजनाएं शुरू की थी। कोविड-19 महामारी की वजह से चल रहे राष्ट्रव्यापी प्रतिबंधों के कारण पात्र संगठनों से प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) का प्रत्युत्तर 31.03.2021 तक प्राप्त नहीं हुई थी। हालांकि इस रिपोर्ट को लिखते समय संबंधित परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तराखंड और तेलंगाना राज्यों में दो संगठनों का चयन किया गया है। इसका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में रखा जाएगा।

जैसाकि पहले सूचित किया गया था, निगम ने विगत वर्ष के दौरान सीएसआर से संबंधित डीपीई के दिशा-निदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य देखभाल संबंधी परियोजनों के लिए सीएसआर क्रिया-कलाप शुरू किया था। इस वर्ष भी निगम ने संबंधित डीपीई दिशा-निदेशों के अनुसरण में 5 नए जिलों में जहां निगम की उपस्थिति है, सरकारी हास्पिटलों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार करने के लिए परियोजनाएं शुरू की हैं। इस उद्देश्य के लिए पांच हास्पिटलों में से प्रत्येक हास्पिटल के लिए 5 लाख रु. आवंटित किए गए थे। 31.03.2021 तक 4 (चार) हास्पिटलों को संबंधित सीएसआर परियोजना के अंतर्गत निधि जारी की गई थी। दर्शाये गये उपरोक्त राशि के जिलेवार उपयोग का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

राज्य	जिला	अस्पताल	उद्देश्य
असम	दर्रांग	जिला स्वास्थ्य सोसायटी	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु मौजूद सुविधाओं का उन्नयन करना।
	गोलपाड़ा	सिविल हास्पिटल	मातृ-संबंधी एवं बाल स्वास्थ्य सुविधा का मरम्मत और नवीनीकरण, उपकरणों की खरीद, सामग्री और विद्युतीकरण करना।
बिहार	कटिहार	जिला स्वास्थ्य सोसायटी	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु मौजूद सुविधाओं का उन्नयन करना।
	पूर्णिया	सदर हास्पिटल	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल हेतु मौजूद सुविधाओं का उन्नयन करना।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के सीएसआर क्रिया-कलाप से संबंधित विवरण को **परिशिष्ट "सी"** के रूप में दिया गया है।

इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक सरकारी जिला जनरल होस्पिटल, विजयनगरम्, आंध्रप्रदेश को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधा के उन्नयन/सुधार के लिए 5 लाख रूपये दिये गये हैं।

10. कार्पोरेट गवर्नेंस

(ए) 1971 में निगम को कंपनी अधिनियम 1956 (अधिनियम) के अंतर्गत प्राइवेट लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में समाविष्ट किया गया था जिसका मूल उद्देश्य था कि जब कच्चे जूट का बाजार मूल्य एमएसपी पर या उससे नीचे रहेगा तब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद कर जूट कृषकों को पारिश्रमिक मूल्य प्रदान करना। वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) द्वारा दी गयी निधि का उपयोग एमएसपी क्रिया-कलाप के बुनियादी ढांचे का रख-रखाव करने के लिए किया जाता है जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि इस निधि का सही ढंग से उपयोग हो। निगम यह लगातार ध्यान रखता है कि राजकोष के उपयोग में सुधार करते हुए अधिकतम पारदर्शिता एवं जवाबदेही रहे।

(बी) 31.03.2021 तक बोर्ड के निदेशकगण – निगम के आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन के अनुसार सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है।

बोर्ड की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (15.12.2020)
1.	श्री अजय कुमार जॉली (डीआईएन:08427305) (01.02.2019 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4	4	4	हां
2.	श्री संजय शरण (डीआईएन:08131112) (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	4	4	4	हां

क्र.सं.	नाम	पदनाम	बोर्ड की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान बोर्ड की बैठकों की सं.	बोर्ड की बैठकों में उपस्थित	क्या विगत एजीएम में उपस्थित रहे (15.12.2020)
3.	श्री गौरव कुमार (डीआईएन:02819625) (08.12.2020 से)	सरकारी निदेशक	4	2	2	-
4.	डा. एस.के. पांडा (डीआईएन:02586135) (09.08.2018 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4	4	-
5	श्रीमती पूजा विधानी (डीआईएन:08863071) (19.02.2020 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	4	4	4	-
6.	श्री अमिताभ सिन्हा (डीआईएन:09022866) (10.12.2021 से)	निदेशक (वित्त)	4	2	2	हां
7.	सुश्री शेरी लालथांगजो (डीआईएन:08427300) (14.02.2019 से 08.12.2020 तक)	सरकारी निदेशक	4	2	2	-
8.	श्री सुवेंदु अधिकारी (डीआईएन:00666385) (05.01.2021 से 01.03.2021 तक)	अध्यक्ष	-	-	-	-
बोर्ड की बैठकों की तिथि: 10.07.2020, 10.08.2020, 11.12.2020 एवं 24.03.2021						

(सी) 31.03.2021 तक लेखापरीक्षा समिति – निगम की मूल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एक अच्छे कार्पोरेट अनुभव का अनुसरण करने के लिए इस अधिनियम की धारा 292ए एवं इससे संबंधित प्रासंगिक/अनुषंगिक विनियम के अनुसार 2001 में निगम के लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया। लेखापरीक्षा समिति का कोरम दो सदस्यों का है।

वर्तमान समिति में निम्नलिखित समाविष्ट है:

1. डा. एस.के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष
2. श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – सदस्य
3. श्री संजय शरण, सरकारी निदेशक – सदस्य
4. श्री गौरव कुमार, सरकारी निदेशक – सदस्य
5. श्री अजय कुमार जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – सदस्य

निदेशक (वित्त) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए स्थायी आमंत्रित व्यक्ति हैं।

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

इस समिति से संबंधित शर्तों का संक्षिप्त ब्यौरा है:

(ए) कंपनी के वित्तीय विवरणियों एवं अन्य रिपोर्टों का समय-समय पर समीक्षा करना।

(बी) मुख्यत: निम्नलिखित पर प्रकाश डालते हुए वार्षिक वित्तीय विवरणियों एवं रिपोर्टों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ समीक्षा करना।

(i) लेखाकरण नीतियों एवं पद्धतियों में कोई परिवर्तन करना।

(ii) लेखापरीक्षा द्वारा उठाने पर योग्यताओं एवं महत्वपूर्ण बिंदुओं का समायोजन करना।

(iii) सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय ग्रहण करना।

(iv) लेखाकरण मानकों का अनुपालन करना।

(v) प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों से संबंधित तथ्य का आदान-प्रदान करना।

(vi) लेखापरीक्षा शुल्क निर्धारित करने के लिए बोर्ड के पास संस्तुति करना।

(vii) सांविधिक लेखापरीक्षकों को उनके द्वारा दी गई कोई अन्य सेवा के लिए भुगतान का अनुमोदन करना।

(viii) बोर्ड में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ समीक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि कंपनी की वार्षिक वित्तीय विवरणियां और लेखापरीक्षा लागू कानून, विनियम एवं कंपनी के नीतियों के अनुसार हैं।

(ix) आंतरिक लेखापरीक्षकों का कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

(x) निगम के किसी भी कर्मचारी से सूचना लेने का प्रयास करना।

(xi) यदि आवश्यकता हुई तो बाहर से कानूनी या किसी दूसरे विशेषज्ञों की सहायता सुनिश्चित करना।

(xii) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता को मजबूत करते हुए विरोधों को कम करना।

(xiii) आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम वाले प्रबंधन को प्रभावी बनाने के लिए सुनिश्चित करना।

(xiv) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया अथवा बाहरी लेखापरीक्षकों को अनियमितताओं की जानकारी देने वाले कर्मचारियों एवं अन्यान्य को संरक्षण देना (पहरेदारों को संरक्षण देना)।

(xv) प्रबंधन के विचार-विमर्श एवं वित्तीय स्थिति व क्रिया-कलाप के परिणाम के विश्लेषण का समीक्षा करना।

(xvi) प्रबंधन एवं लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्य-प्रणाली, रिपोर्ट करने की संरचना एवं आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल की समीक्षा करना।

(xvii) कंपनी के वित्तीय एवं अन्य प्रबंधन के नीतियों की समीक्षा करना।

ऐसे अन्य विषयों का निपटारा करना जिसे बोर्ड द्वारा लिखित रूप से इसके पास भेजा जाता है या संगठन के हित में इसे आवश्यक समझा जाता है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति रिकार्ड:

क्र. सं.	नाम	पदनाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की कुल सं.	निदेशक के कार्यकाल के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित
1.	डा. एस.के. पांडा (09.08.2018 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	3	3
2.	श्रीमती पूजा विधानी (19.02.2020 से)	गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक	3	3	3
3.	श्री संजय शरण (14.02.2019 से)	सरकारी निदेशक	3	3	3
4.	श्री गौरव कुमार (08.12.2020 से)	सरकारी निदेशक	3	2	2
5.	श्री अजय कुमार जॉली (01.02.2019 से)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	3	3	3
6.	सुश्री शेरी लालथांगजो (14.02.2019 से 08.12.2020 तक)	सरकारी निदेशक	3	1	1
लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथि: 10.07.2020, 11.12.2020 एवं 24.03.2021					

(डी) साधारण निकाय की बैठकें:

क्र. सं.		2017-18 (47वीं एजीएम)	2018-19 (48वीं एजीएम)	2019-20 (49वीं एजीएम)
1.	तिथि	28.09.2018	18.12.2019	15.12.2020
2.	समय	अपराह्न 1.00 बजे	पूर्वाह्न 10.00 बजे	पूर्वाह्न 11.00 बजे
3.	स्थान	उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	उद्योग भवन, वस्त्र मंत्रालय, नई दिल्ली	निगम के पंजीकृत कार्यालय, 15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087 में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से

(ई) प्रकटन:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013, लेखाकरण मानक पद्धति एवं अन्य लागू अधिनियम/नियम के अंतर्गत प्रकटन अपेक्षित है।

(ii) विगत तीन वर्षों के दौरान निगम पर कोई दंड/अवक्षेप नहीं लगा है।

(iii) कर्मचारीगण अपने पर्यवेक्षकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पास नियम/विनियम के उल्लंघन का रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(iv) मार्ग-दर्शन में विनिर्दिष्ट बिंदुओं का यथासंभव अनुपालन किया गया है।

(v) केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यक्षीय निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vi) कोई भी ऐसे खर्च को लेखा-बही में नहीं दर्शाया गया है जो व्यवसाय से संबंधित नहीं है।

(vii) व्यक्तिगत खर्च का वहन नहीं किया गया है किंतु बैठकों से संबंधित निदेशकों के लिए आवासीय प्रभार आदि के रूप में खर्च किया गया है।

(viii) अन्य सूचना:

(i) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकें एवं कार्यवाही –

प्रत्येक वर्ष बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की न्यूनतम बैठकें की जाती हैं जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है। बोर्ड के समक्ष साधारणत: निम्नलिखित सूचनाएं रखी गई:

(ए) कार्यवृत्त की पुष्टि।

(बी) अनुवर्ती कार्रवाई।

(सी) कच्चे जूट के विपणन से संबंधित रिपोर्ट।

(डी) जूट बीजों का वितरण।

(ई) कानूनी मामलें।

(एफ) सतर्कता से संबंधित रिपोर्ट।

(जी) सांविधिक अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट।

(एच) वार्षिक लेखा।

(आई) लेखापरीक्षक।

(ii) बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के लिए कार्यसूची – बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तिथियां निर्धारित होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक विभागीय प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श करते हैं एवं निदेश देते हैं कि कार्यसूची से संबंधित कागजात कंपनी सचिव के पास निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा कर दी जाए। कार्यसूची से संबंधित कागजात निदेशकों/सदस्यों के पास भेजी जाती है। ठीक वैसे ही बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त निदेशकों/सदस्यों के पास उनके विचारार्थ भेजी जाती है।

(iii) विगत बैठक से संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई की क्रियाविधि – बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में विगत बैठक के ड्राफ्ट कार्यवृत्त में दर्ज निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट पर विचार-विमर्श की जाती है।

(iv) बोर्ड/समिति की बैठकों में कार्यवृत्त की रिकार्डिंग – कंपनी सचिव प्रत्येक बोर्ड/समिति की बैठक के कार्यवृत्त को रिकार्ड करता है। अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त का अनुमोदन होने के उपरांत उसे सभी निदेशकों/सदस्यों के पास परिचालित किया जाता है। तत्पश्चात् बोर्ड/समिति की आगामी बैठक में इस कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है एवं तदनुसार उसे कार्यवृत्त बही में दर्ज की जाती है।

(एफ) तिमाही रिपोर्ट

निगम ने वस्त्र मंत्रालय के पास कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा अनुबंधित निर्धारित फार्मेट में तिमाही रिपोर्ट फाइल करता है। एक समेकित रिपोर्ट भी डीपीई के पास भेजी जाती है।

(जी) बोर्ड के सदस्यगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन हेतु व्यापार, आचरण एवं नीति संहिता का अंगीकरण – कार्पोरेट गोवर्नेंस के अंश के रूप में धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति:

निगम ने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस (सीपीएसईज) के कार्पोरेट गोवर्नेंस के मार्ग-दर्शन के आधार पर आचरण-संहिता, जोखिम प्रबंधन – धोखेबाजी रोकथाम नीति एवं सीटी बजाने वाली नीति विकसित की है जिसे बोर्ड के निदेशकगण द्वारा अपनाया गया है। प्रत्येक नीति की प्रति वेब-साइट :www.jutecorp.in पर रखी गई है।

11. लाभांश

भारत सरकार के निदेशानुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकगण ने अपने शेयरहोल्डर अर्थात् भारत सरकार को प्रति शेयर 72. 92 रु. (विगत वर्ष 92.40 रु.) के हिसाब से लाभांश के भुगतान की संस्तुति करने पर विचार किया है। लाभांश के रूप में 3,64,60,000 रु. (विगत वर्ष 4,62,00,000 रु.) व्यय होगा। लाभांश का भुगतान निगम के आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।

12. 50 वर्षों के वित्तीय निष्पादन का परिदृश्य

50 वर्षों के दौरान प्रारंभ से 2020-21 तक निगम की वित्तीय निष्पादन का एक सूक्ष्म-वीक्षण **परिशिष्ट- "बी"** में दिया गया है जो लाभ-हानि और आर्थिक सहायता के लेखा-जोखा से संबंधित है।

13. निदेशकगणों के दायित्वपूर्ण वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुसार निगम के बोर्ड के निदेशकगण पुष्टि करते हैं कि :

(i) वार्षिक लेखों की तैयारी करने में सामग्री को छोड़ने के संदर्भ में यदि कुछ होता है तो उसके उचित व्याख्या सहित लागू लेखाकरण मानकों को अपनाया गया है जैसाकि अलग से लेखाकरण नीति के टिप्पणियों में दर्शाया गया है।

(ii) उन्होंने ऐसी ही लेखाकरण नीतियों को चुना है और उसे संगतिपूर्वक लागू किया है एवं उचित व विवेक से निर्णय एवं अनुमानित किया है जिससे 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कार्य-प्रणाली एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ-हानि के दृष्टिकोण से एक सच्ची एवं स्वच्छ तस्वीर दिखाई देता है।

(iii) कंपनी की परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखने एवं धोखा और अन्य अनियमिताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए उन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्ड्स के रख-रखाव को उचित ढंग से रखा है।

(iv) उन्होंने सक्रिय और लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

(v) कंपनी सूचीबद्ध नहीं होने के कारण आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को रखने हेतु इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) का उप खंड(ई) लागू नहीं है।

(vi) उन्होंने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणालियां तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं एवं प्रभावी ढंग से संचालित हो रही हैं।

14. लेखा पर लेखापरीक्षा के मंतव्य एवं वक्तव्य

समीक्षाधीन वर्ष के लिए निगम के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013, यथा संशोधित, के अंतर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों का मंतव्य प्रस्तुत किया जा रहा है।

15. मानवीय श्रोत प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध

निगम के मानव संसाधन विभाग निगम के कर्मचारियों के ज्ञान को उनके संबंधित क्षेत्रों में अद्यतन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इस दिशा में कर्मचारियों को उनके पेशेवर क्षेत्रों में नवीनतम विकास और परिवर्तनों से अवगत कराने के लिए नियमित आधार पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न विषयों जैसे एचआर एनालिटिक्स, वेतन निर्धारण, अनुशासनात्मक नियम और प्रक्रियाएं, आचरण और सीसीए नियम, दक्षता में बढ़ोतरी, पीओएसएच, सृजनात्मक संचार आदि पर ऑनलाइन और प्रत्यक्ष मोड के माध्यम से विभिन्न प्रसिद्ध प्रशिक्षण संस्थानों एवं संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया। निगम के दोनों नियमित और संविदागत कर्मचारियों को इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है।

वर्ष के दौरान निगम में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहा।

16. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

निगम में सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन सख्ती से की जाती है। सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को नामित किये गये हैं। मांगी गई सूचना नियत समय के अंदर दी जाती है।

17. मानव शक्ति

31.03.2021 तक निगम में 115 नियमित, 55 आकस्मिक एवं 49 संविदागत कर्मचारीगण थे।

18. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.जा. की स्थिति

31.03.2021 तक निगम में स्थायी कर्मचारियों के रूप में 15 अनु.जाति, 08 अनु.जनजाति एवं 15 अ.पि.जाति थे।

19. परिवार कल्याण

परिवार कल्याण के संबंध में निगम ने समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए सभी तरह का प्रयास किया है।

20. यौन उत्पीड़न संबंधी सरकारी निदेशों का अनुपालन

निगम ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोप) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में विधिवत् आंतरिक समिति का गठन किया था। इसे फिर से गठित किया गया है क्योंकि पूर्ववर्ती समिति के अधिकांश सदस्यगण की सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण एवं अन्य कारणों के कारण निगम के साथ संबद्ध नहीं थे। नई समिति में निगम के प्रधान कार्यालय के चार वरिष्ठ कर्मचारी शामिल हैं जिनमें से दो महिलाएँ हैं। समिति की अध्यक्षा एमएसटीसी लि., एक

सीपीएसई से एक महाप्रबंधक स्तर की महिला अधिकारी है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समिति को कोई शिकायत नहीं मिली थी।

21. विकलांग व्यक्तियों के कल्याण हेतु निगम द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त ब्यौरा

निगम को शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई विनिर्दिष्ट योजना नहीं सौंपी गई है और उसके लिए अलग से कोई बजट आवंटित नहीं की गई है। फिर भी शारीरिक विकलांग व्यक्तियों को वाहन भत्ता पर खर्च की इजाजत दी जा रही है जो सामान्य मामले में भुगतान की गई वाहन भत्ता की राशि से दोगुना है।

31.03.2021 तक निगम के नियमित 10(दस) शारीरिक विकलांग कर्मचारीगण इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे हैं।

22. राजभाषा का प्रचार-प्रसार

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्यक्रमों के अनुसार निगम ने राजभाषा नीति का कार्यान्वयन करते आ रहा है। निगम के प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारीगण निरंतरता के आधार पर हिंदी भाषा का प्रशिक्षण ले रहे हैं। 14 सितम्बर, 2020 को हिंदी दिवस मनाया गया और 01 सितम्बर, 2020 से 13 सितम्बर, 2020 के बीच हिंदी पखवाड़ा भी मनाया किया गया जिसमें प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिंदी प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निगम में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी दिवस को लक्ष्य कर निगम के प्रधान कार्यालय में हिंदी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नियमित रूप से तिमाही समीक्षा बैठकें हो रही हैं एवं बोर्ड को उनकी बैठक में नियमित रूप से इसकी प्रगति के बारे में सूचित किया जा रहा है।

23. सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम

27.10.2020 से 02.11.2020 तक सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम मनाया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने वर्ष 2020-21 के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में "सतर्क भारत, समृद्ध भारत (विजिलेंट इंडिया, प्रोस्पेरस इंडिया)" को अपनाया था। सप्ताह के दौरान प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों में निगम के कर्मचारियों द्वारा ईमानदारी की प्रतिज्ञा ली गई। कर्मचारियों द्वारा सीवीसी वेबसाइट के माध्यम से ई-प्रतिज्ञा भी ली गई। सीवीसी के सलाह के अनुसार शपथ लेते समय और सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन करते वक्त कोविड़-19 रोकथाम दिशा-निदेशों का सख्ती से पालन किया गया था। सतर्कता सप्ताह के अंतिम दिन श्री अखिलेश कुमार सिंह, डीआईजी, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीबीआई को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय पर निगम के कर्मचारियों को ज्ञान देने और विभिन्न सतर्कता विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पूरे कार्यक्रम का आयोजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया।

24. बोर्ड के निदेशकगण

वर्ष के दौरान 05.01.2021 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री सुवेंदु अधिकारी को निगम के बोर्ड के निदेशकगण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री अधिकारी ने अपना त्याग-पत्र दे दिया और 01.03.2021 को अपना पद छोड़ दिया।

इसके अलावा श्री संजय शरण, संयुक्त सचिव (फाइबर), वस्त्र मंत्रालय, निगम के बोर्ड के सरकारी नामित निदेशक को 27.05.2021 को निगम का अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया।

25. वार्षिक विवरण का सार

फार्म सं.एमजीटी-9

वार्षिक विवरण का सार

31.03.2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	पंजीकरण और अन्य ब्यौरा		
	i)	सीआईएन	यू17232डब्ल्यूबी1971जीओआई027958
	ii)	पंजीकरण तिथि	02/04/1971
	iii)	कंपनी का नाम	भारतीय पटसन निगम लिमिटेड
	iv)	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	शेयर/संघ सरकार कंपनी द्वारा कंपनी लिमिटेड
	v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क ब्यौरा	15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, 7वां तल, कोलकाता-700 087 दूरभाष: 033 2252 7027 / 7028 फैक्स: 91 33 2252 1771 / 7390
	vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है हां/नहीं	नहीं
	vii)	रेजिस्ट्रर और हस्तांतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरा, यदि कुछ हो	लागू नहीं

II. कंपनी के प्रधान व्यापार के क्रिया-कलाप:

सभी व्यापार के क्रिया-कलाप जिसमें कंपनी के कुल कारोबार का 10% अथवा उससे अधिक का अंशदान कर रहा हो, को दर्शाया जाए:

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	जूट बीज, जूट और इससे संबंधित उत्पादों का व्यापार एवं विवरण		100%

III. होल्डिंग, सहायक और सह कंपनियों का ब्यौरा

क्र. सं.	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन/ जीएलएन	होल्डिंग/सहायक/सह	रखे गये शेयरों का %	लागू धारा
	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

IV. शेयर होल्डिंग पेटर्न (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग:

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के अंत में रखे गये शेयरों की सं.				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	डिमैट	प्रत्यक्ष	कुल	कुल शेयरों का %	
ए. प्रोमोटर्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) केन्द्र सरकार	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
सी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(1)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
(2) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) एनआरआइज – व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) अन्य - व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) कोई अन्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (ए)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रोमोटर का कुल शेयर होल्डिंग (ए) = (ए)(1)+(ए)(2)	शून्य	500000	500000	100	शून्य	500000	500000	100	शून्य
बी. सार्वजनिक शेयर होल्डिंग									
1. संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) म्यूचुअल फंड्स	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) बैंकों/एफआई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) केन्द्र सरकार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
डी) राज्य सरकार (रों)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ई) वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एफ) बीमा कंपनियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
जी) एफआईआईज	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
एच) विदेशी वेंचर पूंजी निधि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आई) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2. गैर संस्थानों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ए) निकायों निगम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) भारतीय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) विदेशी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी) व्यक्तिगत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
i) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. तक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकगण जिनका नाममात्र शेयर पूंजी 1 लाख रु. से अधिक है।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी) अन्यान्य (उल्लेख करें)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उप कुल (बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (बी)= (बी)(1)+(बी)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. संरक्षक द्वारा जीडीआर्स एवं एडीआर्स हेतु रखे गये शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (ए+बी+सी)	**शून्य**	**500000**	**500000**	**100**	**शून्य**	**500000**	**500000**	**100**	**शून्य**

(ii) प्रोमोटरों का शेयर होल्डिंग

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर			वर्ष के अंत में रखे गये शेयर			वर्ष के दौरान रखे गये शेयर में % परिवर्तन
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के गिरवी/ऋणग्रस्त शेयरों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	500000	100	शून्य	500000	100	शून्य	शून्य
	कुल	**500000**	**100**	**शून्य**	**500000**	**100**	**शून्य**	**शून्य**

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो कृपया उल्लेख करें)

क्र.सं.		वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(iv) शीर्ष के दस शेयरधारकों के शेयर होल्डिंग पेटर्न (निदेशकों, प्रोमोटरों और जीडीआर्स व एडीआर्स के धारकों के अलावा)

क्र. सं.	भारत के राष्ट्रपति	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	500000	100	500000	100
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(v) निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के शेयर होल्डिंग

	प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में रखे गये शेयर		वर्ष के दौरान रखे गये संचित शेयर	
		शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
	वर्ष के प्रारंभ में	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	बढ़ोत्तरी/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वीट इक्विटी आदि) के कारणों का उल्लेख करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथिवार बढ़ोत्तरी/कमी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	वर्ष के अंत में (अथवा अलग होने की तिथि पर यदि वर्ष के दौरान अलग हुआ हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

V. कर्जदारी

ब्याज का बकाया/अर्जित सहित कंपनी की कर्जदारी परंतु भुगतान हेतु बकाया नहीं

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा राशि	कुल कर्जदारी
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में कर्जदारी (i) मूल राशि (ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया (iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0.27 लाख रु.	-	-	0.27 लाख रु.
कुल (i)+(ii)+(iii)	**0.27 लाख रु.**	**-**	**-**	**0.27 लाख रु.**
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन ● बढ़ोतरी ● कटौती	0.27 लाख रु.	-	-	0.27 लाख रु.
शुद्ध परिवर्तन	**0.27 लाख रु.**	**-**	**-**	**0.27 लाख रु.**
वित्तीय वर्ष के अंत में कर्जदारी (i) मूल राशि (ii) बकाया ब्याज परंतु भुगतान नहीं किया गया (iii) अर्जित ब्याज परंतु बकाया नहीं	0.00 रु. - -	- - -	- - -	0.00 रु. - -
कुल (i)+(ii)+(iii)	**0.00 रु.**			**0.00 रु.**

VI. निदेशकगण और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के पारिश्रमिक

निगम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज (सरकारी कंपनी) होने के नाते निदेशकगण दोनों कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी की नियुक्ति एवं कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक भुगतान भारत सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के शर्तों के अनुसार किया जाता है।

VII. अपराधों का दंड/सजा/समझौता

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त ब्यौरा	लगाये गये दंड/सजा/समझौता फीस का ब्यौरा	प्राधिकारी (आरडी/ एनसीएलटी/ कोर्ट)	अपील की गई, यदि कुछ हो (ब्यौरा दें)
ए. कंपनी					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
बी. निदेशकों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सी. चूक में अन्य अधिकारियों					
दंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
सजा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
समझौता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

26. उर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन और विदेशी मुद्रा का उपार्जन व व्यय

जैसाकि विगत रिपोर्ट में सूचित किया गया है, निगम हमेशा ऊर्जा के संरक्षण के सकारात्मक प्रभावों के प्रति सचेत रहा है और इस संबंध में वह ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के लिए हमेशा ग्रहणशील रहा है। वर्तमान में यह अपने सभी कार्यालयों में एलईडी लाइटों का उपयोग करता है। अपने कई क्षेत्रीय कार्यालयों/आरएलडीज एवं डीपीसीज में सौर लाइट प्रणाली का भी उपयोग किया जा रहा है। निगम के कार्यालयों में सभी विद्युत उपकरणें कार्य-समय के उपरांत अनिवार्य रूप से बंद हो जाती है। कार्यालय उपयोग के लिए विद्युत उपकरण चुनते समय उसकी उर्जा दक्षता सुनिश्चित की जाती है। निगम सभी कार्यालयों में बिजली की खपत को कम करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। निगम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई), ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी "अनुशंसित इष्टतम तापमान सेटिंग के माध्यम से बिल्डिंग स्पेस कूलिंग में ऊर्जा संरक्षण" से संबंधित दिशा-निर्देशों का निष्ठा से पालन करता है।

27. सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, यथा संशोधित के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए मेसर्स एस.के. मल्लिक एण्ड कं., कोलकाता को निगम का सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम को लागत के रिकार्डों का रख-रखाव करने की आवश्यकता नहीं है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के उप धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।

28. आभार प्रदर्शन

निदेशकगण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वस्त्र मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पटसन आयुक्त का कार्यालय एवं नेशनल जूट बोर्ड को निगम के कार्यों में समय-समय पर उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करता है। वे कृषि लागत और मूल्य आयोग, राज्य सरकारों, कृषि और सहकारिता विभागों, राज्य के शीर्ष सहकारिता संगठनों, पटसन विकास निदेशालय से प्राप्त सहयोग के लिए भी अपना कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक लि. तथा अन्य बैंकों को उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निदेशकगण मेसर्स स्पान एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, आंतरिक लेखापरीक्षक, एस.के.मल्लिक एंड कं., सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, वाणिज्य लेखापरीक्षा के प्रधान निदेशक एवं कंपनी पंजीयक कार्यालय एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय को उनके सहयोग एवं पथ-प्रदर्शन के लिए भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

अंत में, निदेशकगण निगम के स्टाफ, अधिकारियों एवं अन्य हितधारकों द्वारा दिये गये सहयोग हेतु अपना आभार प्रकट करते हैं।

कृते एवं बोर्ड के निदेशकगण की ओर से

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक

तिथि : 14.12.2021
स्थान : कोलकाता

परिशिष्ट "ए"

वित्तीय परिणाम 2020-21

(रु. लाख में)

	अन्तर्देशीय कच्चा जूट		जूट बीज	विविध जूट उत्पाद	कुल
	मूल्य समर्थन	वाणिज्यिक			
आय					
विक्रय	1156.67	9411.89	815.83	193.21	11577.60
ब्याज	465.48	0.00	0.00	0.76	466.24
सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	3350.00	0.00	0.00	0.00	3350.00
अन्य जमा	70.01	29.92	4.09	0.00	104.02
अंतिम स्टॉक	146.82	1124.52	314.35	35.30	1620.99
कुल	**5188.98**	**10566.33**	**1134.27**	**229.27**	**17118.85**
व्यय					
प्रारंभिक स्टॉक	727.29	678.93	53.24	27.77	1487.23
क्रय	328.67	8473.81	1039.48	178.61	10020.57
व्यापारिक खर्चे	32.43	404.71	6.04	4.17	447.35
भाड़ा एवं बीमा	156.85	27.24	5.55	0.95	190.59
स्थायी खर्चे	3356.04	0	0	0.97	3357.01
कुल	**4601.28**	**9584.69**	**1104.31**	**212.47**	**15502.75**
अधिक्य(+)/कमी(-) ब्याज और मूल्यह्रास से पहले एक वर्ष का परिचालन	**587.70**	**981.64**	**29.96**	**16.80**	**1616.10**
ब्याज	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
मूल्यह्रास और परिशोधन	16.65	0.00	0.00	0.00	16.65
वर्ष के लिए लाभ(+)/हानि(-)	571.04	981.64	29.96	16.80	1599.44
आयकर के लिए प्रावधान	-	-	-	-	384.21
कर के उपरांत लाभ	-	-	-	-	1215.23
भुगतान किये गये लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00	462.00
प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
वर्ष के लिए शुद्ध अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	753.23
31.03.2020 तक आरक्षित एवं अधिशेष	0.00	0.00	0.00	0.00	14270.39
31.03.2021 तक आरक्षित एवं अधिशेष	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15023.62**

परिशिष्ट "बी"

50 वर्षों (1971-72 से 2020-21) के लाभ-हानि का सूक्ष्म-वीक्षण

(रु. करोड़ में)

		2020-21 तक संचयी	कुल व्यय रु.5302.24 के विभिन्न मदों की प्रतिशतता
I.	**आय**		
	विक्रय	3770.79	
	सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	749.99	
	सरकार से आर्थिक सहायता (बीज)	14.93	
	पश्चिम बंगाल से विशेष आर्थिक सहायता (एमएसपी)	1.55	
	अन्य आय	276.38	
	अंतिम स्टॉक	16.21	
		4829.85	**91**
II.	**व्यय**(स्थायी खर्च एवं ब्याज को छोड़कर)		
	क्रय	3031.08	
	व्यापारिक एवं परिचालन खर्चे	335.09	
	भंडारण	98.75	
	बीमा	33.44	
	पूर्व अवधि तथा अन्य का समायोजन	16.20	
		3514.56	**66**
III.	स्थायी खर्च एवं ब्याज से पहले का अधिशेष (I-II)	1315.29	
IV.	बाद : स्थायी खर्च	1202.13	**22**
V.	ब्याज से पहले का अधिशेष/(कमी) (III-IV)	113.16	
VI.	योग : उधार पर ब्याज	(585.58)	**12**
		(472.42)	
VII.	आयकर (1973-74, 1976-77, 2004-05, 2008-09, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16 , 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21)	80.71	
	फ्रिंज लाभ कर (2005-06 से 2008-09 तक)	0.37	
	वितरण कर सहित सरकार को लाभांश (1971-72, 1973-74, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21)	18.58	
	हानि :	(572.08)	
VIII.	खाते में आर्थिक सहायता जमा (2002-03 तक)	555.20	
IX.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप बट्टे खाते में 2002-03 तक का संचित हानि	144.17	
X.	वित्तीय पुन:संरचना के परिणामस्वरूप पूंजीगत लाभ	22.96	
XI.	तुलन-पत्र में लाये गये वित्तीय वर्ष 2020-21 तक का लाभ (जमा अंक) (VIII+IX+X-VII)	150.24	

परिशिष्ट "सी"

सीएसआर के क्रिया-कलाप से संबंधित वार्षिक रिपोर्ट

1	कंपनी के सीएसआर की नीति के संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें अपनाये जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के परिदृश्य और सीएसआर की नीति व परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ शामिल हैं।	भापनि एक लाभकारी संगठन होने के नाते उसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत सीएसआर के क्रिया-कलापें करना है। सीएसआर की समिति द्वारा संस्तुत सीएसआर नीति एवं 25.06.2019 को आयोजित बोर्ड की 252वीं बैठक में उनके द्वारा दिये गये अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए निगम के सीएसआर क्रिया-कलापें की गई हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के लिए भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग) द्वारा समय-समय पर परिचालित किए गए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के दिशा-निर्देशों के अनुसार निगम सीएसआर के क्रिया-कलापों में शामिल होने के लिए भी बाध्य है। **निगम का सीएसआर नीति** भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसई) का स्थापना भारत सरकार द्वारा किया गया जिसका मुख्य उद्देश्य साधारणत: उगाए गए जूट के लिए समुचित मूल्य प्रदान करते हुए और विशेषकर मजबूरन बिक्री करने से बचाते हुए जूट कृषकों के हितों का रक्षा करना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप करने के अतिरिक्त भापनि बाजार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक क्रय व विक्रय भी करता है। तदनुसार, जूट कृषकगण जो सीमित आय के साथ बड़े पैमाने पर छोटे और मार्जिनल कृषक हैं, का कल्याण इस सीएसआर नीति का फोकस व मार्ग-दर्शक कारक हो सकता है। प्रबंधन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में सूचीबद्ध सीएसआर क्रिया-कलापों पर विगत तीन वर्षों के औसतन शुद्ध लाभ का 2(दो) प्रतिशत व्यय करने का प्रयत्न करेगा। किसी खास वर्ष में सीएसआर क्रिया-कलापों की पहचान एवं कार्यान्वित करते समय लोक उद्यम विभाग, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय (प्रशासनिक मंत्रालय) द्वारा जारी निदेशों, यदि कुछ हो, को ध्यान में रखा जाएगा। जूट कृषकों/बुनकरों को उनकी कमाई और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए नए कौशल व प्रौद्योगिकी के साथ सशक्त बनाने और जूट कृषकों/बुनकरों के संतानों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए सहायता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चल रही स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को पूरा करने का प्रयास किये जाएंगे जिसमें जूट कृषकों/बुनकरों के लिए पीने का पानी, स्वच्छता एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल टीकाकरण आदि शामिल हैं। राशि जो वर्ष के अंत में अव्ययित रह सकती है उसे आगामी वित्तीय वर्ष में ले जाया जाएगा। **वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बनाये गये योजनाओं एवं बजट का कार्यक्रम** 1. इस संबंध में डीपीई के मार्ग-दर्शन के अनुसार सीएसआर समिति द्वारा 05 आकांक्षात्मक जिलों जहां निगम ने क्रिया-कलाप किये हैं वहां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुविधा को उन्नत करने के लिए सीएसआर परियोजनाओं को चिह्नीत किया गया है।

		2. महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास के लिए परियोजनाएं। 3. निफ्ट के सहयोग से जेडीपी को समर्थन देने के लिए डिजाइन विकास परियोजना। 4. समाज के हित के लिए प्रशंसनीय कार्य करने वाले विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों को अंशदान।
2	सीएसआर समिति का गठन	1. डा. एस. के. पांडा, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – अध्यक्ष 2. श्रीमती पूजा विधानी, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक – सदस्य 3) श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य 4) श्री ए. के. जॉली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक – सदस्य 5) श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) – सदस्य 6) सुश्री शेरी लालथांगजो , आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय – सदस्य
3	विगत तीन वित्तीय वर्षों के कंपनी का औसतन शुद्ध लाभ (कर से पहले) (2017-18, 2018-19 एवं 2019-20)	रु.23,08,67,000/-
4	निर्धारित सीएसआर पर खर्च (उपरोक्त 3 में दी गई राशि का दो प्रतिशत)	रु.46,17,000/-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा 1) वित्तीय वर्ष हेतु खर्च की जाने वाली कुल राशि 2) अव्ययित राशि, यदि कुछ हो 3) वित्तीय वर्ष क दौरान खर्च की गई राशि का ढंग	 1) रु. 46,17,000/- 2) 2020-21 के सीएसआर बजट के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में रु.7.00 लाख खर्च की जाएगी। 3) खर्च की गई राशि के ढंग को नीचे के तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका – 2020-21 के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि का ब्यौरा

क्र. सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/ जिला	राशि (रु. में)
I	इस संबंध में डीपीई के मार्ग-दर्शन के अनुसार सीएसआर समिति द्वारा चिह्नीत 05 आकांक्षात्मक जिलों जहां निगम ने क्रिया-कलाप किये हैं वहां स्वास्थ्य देखभाल संबंधित क्रिया-कलापों हेतु सीएसआर की परियोजनाओं का कार्यान्वयन	स्वास्थ्य	असम एवं बिहार	20,00,000/-
II	जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल के विकास के लिए परियोजनाएं।	महिलाओं और बच्चों के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाने वाले रोजगार को बढ़ावा देना	ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश	5,00,000/-
III	निफ्ट के सहयोग से जेडीपी को समर्थन देने के लिए डिजाइन विकास परियोजना।	विशेष शिक्षा सहित शिक्षा को बढ़ावा देना	पूरे भारत	7,52,250/-

क्र. सं.	सीएसआर की परियोजना	सेक्टर	परियोजना राज्य/ जिला	राशि (रु. में)
IV	सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में अंशदान	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लाभ के लिए उपाय	पूरे भारत	2,00,000/-
	कुल			**34,52,250/-**

6	चिह्नीत राशि को खर्च नहीं करने का कारण	वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों हेतु जूट विविध उत्पादों (जेडीपी) के उत्पादन में कौशल विकास के लिए दो परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी और तदनुसार आरएफक्यूज जारी किए गए थे। हालाँकि कोविड-19 महामारी के कारण पर्याप्त प्रत्युत्तर नहीं मिली थी। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दो संगठनों की पहचान की गई है और परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं जिनका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण प्रारंभ में मातृ एवं शिशु हेतु स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकारी होस्पिटल की पहचान करने में समस्याएँ थीं। हालांकि अंततः चार होस्पिटलों की पहचान की गई और धनराशि जारी की गई जबकि एक होस्पिटल को 31 मार्च, 2021 के अंदर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शेष एक होस्पिटल की भी पहचान की गई है जिसका विवरण आगामी वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाएगा।
7	सीएसआर समिति से विवरण	सीएसआर समिति ने पुष्टि की है कि पैरा-1 में दी गई सीएसआर के क्रिया-कलापों की रुपरेखा के अनुरूप सीएसआर से संबंधित खर्च की गई है।

पांच वर्षों की रूपरेखा

(रु. लाख में)

क्र. सं.	ब्यौरा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ए	**परिचालन के आंकड़े**					
	कुल कारोबार	6330.17	18004.07	18433.84	12786.83	11577.60
	अन्य आय	5948.53	5295.87	6388.77	4820.68	3920.26
	खर्च	11047.80	20547.37	22789.88	15478.48	13898.41
	पूर्व अवधि का समायोजन (शुद्ध)	(58.10)	6.46	(18.66)	0.00	0.00
	कर से पहले लाभ	1289.00	2746.11	2051.39	2129.03	1599.44
	कर	353.00	977.92	891.46	589.48	384.21
	आस्थगित कर खर्चे	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	कर के उपरांत लाभ	919.79	1768.20	1159.93	1539.55	1215.23
	लाभांश कर सहित लाभांश	332.19	638.50	419.53	462.00	364.60
	सामान्य रिजर्व में राशि हस्तांतरण	587.60	1129.70	740.40	1077.55	850.63
बी	**वित्तीय स्थिति**					
	नियोजित पूंजी	11360.74	12490.44	13650.37	14770.39	15523.62
	अप्रचलित परिसंपत्तियां	240.71	238.99	378.85	396.70	330.27
	प्रचलित परिसंपत्तियां	19077.45	26399.78	21739.12	21290.29	22910.68
	इक्विटी एवं देयताएं :					
	i) शेयर पूंजी	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
	ii) आरक्षित एवं अधिशेष	10860.74	11990.44	13150.37	14270.39	15023.62
	अप्रचलित देयताएं	3446.25	3318.82	4216.27	3988.11	4008.68
	प्रचलित देयताएं	4511.17	10829.52	4251.34	2928.50	3708.65
सी	**अनुपात**					
	पीबीटी/कुल कारोबार	0.20	0.15	0.11	0.17	0.14
	पीएटी/कुल कारोबार	0.15	0.10	0.06	0.12	0.10
	पीबीटी/नियोजित पूंजी	0.11	0.22	0.15	0.14	0.10
	पीएटी/कुल मूल्य	0.08	0.14	0.08	0.10	0.08
	कुल कारोबार/कुल मूल्य (कितनी बार)	0.56	1.44	1.35	0.87	0.75
	प्राप्ति योग्य व्यापार/कुल कारोबार (%)	0.93	26.05	10.78	13.71	6.70

S. K. Mallick & Co.
Chartered Accountants
BIKANER BUILDINGS, 1ST FLOOR, ROOM NO. :2
8-B, LALBAZAR STREET, KOLKATA - 700 001
Phone : (033) 4005 3787, E-mail : skmco.ca@gmail.com

कार्पोरेट गोवर्नेंस प्रमाण-पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड,

15एन, नेली सेनगुप्ता सरणी,

कोलकाता-700 087

हमने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ("कंपनी") द्वारा किये गये कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन की जांच की जैसाकि केंद्रीय लोक सेक्टर उद्यम (सीपीएसईज) के लिए लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं.18(8)/2005-सीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कार्पोरेट गोवर्नेंस से संबंधित मार्ग-दर्शन ("मार्ग-दर्शन") में निर्धारित किया गया है।

कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। इस दायित्व में आंतरिक नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव और कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। हमारा उसकी प्रक्रिया एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए जांच की दायरा सीमित है जिसे कंपनी द्वारा कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है जैसाकि मार्ग-दर्शन में निर्धारित है। यह न तो लेखापरीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरणियों पर विचार प्रकट करना है।

हमारी राय से और जहां तक जानकारी है एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित को छोड़कर कंपनी ने कार्पोरेट गोवर्नेंस की शर्त्तों का अनुपालन किया है जैसाकि उपरोक्त मार्ग-दर्शन में निर्धारित किया गया है:

i) मार्ग-दर्शन का खंड 4.1.1 : कि लेखापरीक्षा समिति का दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशकगण होगा।

हम पुन: जानकारी देते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो कंपनी के भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है न ही इसका दक्षता या प्रभाव है जिससे प्रबंधन कंपनी के कार्य का संचालन किया है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार
सदस्यता सं.055467
यूडीआईएन:21055467एएएएएसी09343

स्थान: कोलकता
तिथि : 29.09.2021

Branch : C/0. D. SENGUPTA, AKSHAY APARTMENT. R.G. STREET, P.O. . THARPAKHANA. DIST. : RANCHI. JHARKHAND - 834001
MOBILE NO. : 98310 51467. E-mail : rsmallick@gmail.com

क्षेत्रीय कार्यालय

31.03.2021 तक

राज्य	प्र.का./क्षे.का./आरएलडी	डीपीसीज/एससीज की संख्या	राज्यवार कुल डीपीसीज/एससीज
पश्चिम बंगाल	कोलकाता आरएलडी	16	76
	सिलीगुड़ी क्षे.का.	8	
	कूचबिहार क्षे.का.	7	
	तुलसीहाटा आरएलडी	9	
	कृष्णनगर क्षे.का.	14	
	बरह्मपुर क्षे.का.	12	
	बेथुवाडहरी आरएलडी	10	
असम	गुवाहाटी क्षे.का.	7	19
	गौरीपुर आरएलडी	5	
	जुरिया आरएलडी	7	
बिहार	फारबिसगंज आरएलडी	12	12
ओडिशा	भद्रक आरएलडी	6	6
आंध्रप्रदेश	पार्वतीपुरम् आरएलडी	4	4
त्रिपुरा	अगरताला क्षे.का.	2	2
कुल		**119**	**119**

स्वतंत्र लेखापरीक्षक का रिपोर्ट

सदस्यगण,
भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा से संबंधित रिपोर्ट

सशर्त राय

हमने **भारतीय पटसन निगम लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा किया जिसमें 31 मार्च, 2021 तक के तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और वर्ष के अंत तक का नकद प्रवाह विवरण और उस तिथि पर वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल हैं।

हमारी राय में और जहां तक हमें जानकारी है और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपरोक्त वित्तीय विवरणियां कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित जानकारी अपेक्षित तरीके से देती हैं और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2015 यथा संशोधित ("एएस") के साथ इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखाकरण मानकों और भारत में आमतौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप 31 मार्च, 2021 तक कंपनी के कार्य और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और उसके नकदी प्रवाह का सही और स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करती हैं।

सशर्त राय हेतु आधार

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा संचालित की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों को हमारे रिपोर्ट के वित्तीय विवरण के लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में आगे वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी नैतिक संहिता के साथ-साथ इस अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई के नैतिक संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरण के हमारे लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। वर्तमान अवधि की लेखापरीक्षा में हमने अलग से रिपोर्ट किए जाने के लिए अपेक्षित कोई मुख्य लेखापरीक्षा मामले नहीं देखे हैं।

अन्य मामले

पूरे भारत में कोविड-19 के निरंतर फैलने के परिणामस्वरूप क्लाइंट के स्थानों पर भौतिक यात्रा पर प्रतिबंध लगा है और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा निर्धारित लेखाकरण मानकों के अनुसार वैकल्पिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया करने की आवश्यकता है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए डेटा के रिमोट एक्सेस के आधार पर संपूर्ण

लेखापरीक्षा किया गया। यह आईसीएआई के लेखाकरण और बीमा मानक बोर्ड द्वारा जारी "वर्तमान कोविड-19 स्थिति के अंतर्गत दूरस्थ लेखापरीक्षा/सुदूर लेखापरीक्षा/ऑनलाइन लेखापरीक्षा करते समय विशिष्ट विचार" से संबंधित सलाह के आधार पर किया गया है। कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमारा प्रतिनिधित्व किया गया है कि हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया डेटा सही, पूर्ण, विश्वसनीय है और कंपनी की लेखाकरण प्रणाली द्वारा बिना किसी और मैन्युअल संशोधन के सीधे तौर पर सृजित है।

हम उपयोगकर्त्ताओं का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उपरोक्त अवस्था में वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा निष्पादित किया गया है।

हमने अपने रिपोर्ट में सूचित किए जाने के लिए नीचे वर्णित अन्य मामलों को निर्धारित किया है:

1. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 31 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,20,62,826/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।

2. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 7 दर्शाता है कि व्यापार देय राशि रु.9,49,04,288/- (विगत जमा शेष राशि रु.5,45,26,935/-) में जमा शेष राशि रु.34,54,294/- (विगत जमा शेष राशि रु.76,485) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

3. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 8 दर्शाता है कि ग्राहकों से अग्रिम राशि रु.3,24,04,834/- (विगत जमा शेष राशि रु.1,32,55,809) में जमा शेष राशि रु.62,61,257/-(विगत जमा शेष राशि रु.62,13,163/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

4. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.12 एवं 14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.7,79,10,322/- (विगत जमा शेष राशि रु.17,57,60,233/-) में जमा शेष राशि रु.47,18,059/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।

5. वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.37 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.9,02,589/- में से रु.2,02,613/- की वसूली हो चुकी है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरणियों और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट के अलावा सूचना

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य सूचना में प्रबंधन का विचार-विमर्श और विश्लेषण विषण, बोर्ड के रिपोर्ट के परिशिष्ट सहित बोर्ड के रिपोर्ट, व्यापार के उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कार्पोरेट गोवर्नेंस और शेयरधारी का सूचना शामिल है परंतु इसमें वित्तीय विवरणियां और उसपर लेखापरीक्षक के रिपोर्ट शामिल नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन के निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ने की है और ऐसा करने में इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारे लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना के भौतिक गलत विवरण है तो हमें उस तथ्य का रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणियों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कंपनी के बोर्ड के निदेशकगण इस वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में दर्शाये गये विषय-वस्तु के लिए जिम्मेदार हैं जो साधारणत: भारत में स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों एवं इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानकों के साथ-साथ कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2015, यथा संशोधित के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य-निष्पादन एवं नकद प्रवाह का सही व स्व्च्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है।

इस जवाबदेही में यह भी शामिल है कि कंपनी के परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और जालसाजी को रोकने व पता लगाने एवं अन्य अनियमितताओं के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण रिकार्डों का रख-रखाव, उपयुक्त लेखाकरण नीतियों का चयन व प्रयोज्य, निर्णय व आकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन व रख-रखाव जो लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता व संपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति से संबंधित सही एवं स्वच्छ तस्वीर प्रस्तुत करता है और गलत विवरण दस्तावेज जो जालसाजी अथवा गलती से मुक्त है।

वित्तीय विवरणियों को तैयार करने में प्रबंधन को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में जारी रखने, प्रकटन करने जैसाकि लागू है, लाभप्रद व्यवसाय से संबंधित मामले एवं लेखाकरण का लाभप्रद व्यवसाय के आधार पर उपयोग करने के लिए कंपनी की क्षमता का आकलन करने की जिम्मेदारी है जबतक कि प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा नहीं रखता है या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

बोर्ड के निदेशकगण कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देख-रेख करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरणियां गलत विवरण से मुक्त हैं चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया लेखापरीक्षा हमेशा मौजूद किसी सामग्री के गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरणियां धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और वह सामग्री माना जाता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर उन्हें इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित को भी:

* वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के आधार को साबित करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप एक से अधिक है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

* लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करें जो ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। इस अधिनियम की धारा 143(3)(आई) के अंतर्गत हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी

जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।

* उपयोग की गई लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

* लेखाकरण के सक्रिय और लाभप्रद के रूप में और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की सक्रियता और लाभप्रद के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपनी राय को संशोधित करें। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी का सक्रिय और लाभप्रद के रूप में जारी रहना बंद हो सकती है।

* प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और अंतर्वस्तु का मूल्यांकन करें और क्या वित्तीय विवरणियां अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

भौतिकता वित्तीय विवरणियों में गलत विवरण का परिमाण है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के उचित ज्ञान वाले उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचाने गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संबंध में गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संवाद करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान चिह्नित करते हैं।

हम उन प्रभारीगण को भी विवरण प्रदान करते हैं जिन पर गोवर्नेंस प्रभार है कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उनके साथ सभी संबंध और अन्य मामलों का संवाद करते हैं जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है और जहां सुरक्षा उपाय से संबंधित लागू हो।

गोवर्नेंस के प्रभारीगण के साथ संप्रेषित मामलों से हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो चालू अवधि के वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और मुख्य लेखापरीक्षा के मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारे रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

जैसाकि इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम अपने लेखापरीक्षा के आधार पर रिपोर्ट करते हैं कि:

हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारे जानकारी व विश्वास से आवश्यक थे।

(ए) हमारी राय से लेखा के समुचित बही-खाते को जैसाकि विधि द्वारा अपेक्षित है उसे कंपनी द्वारा रखा गया है जहां तक उन बही-

खाते की हमारी जांच से प्रकट होता है।

(बी) इस रिपोर्ट में दर्शाये गये तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकद प्रवाह विवरण लेखा के बही-खाते से मेल खाते हैं।

(सी) हमारी राय से उपरोक्त वित्तीय विवरणियों का अनुपालन इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखाकरण मानक के साथ किया गया है।

(डी) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्तानुसार निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित इस अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

(ई) कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के परिचालन की प्रभावपूर्णता के संदर्भ में हमारा पृथक रिपोर्ट **"संलग्नक-ए"** में देखें। हमारा रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्ट देने से संबंधित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन की प्रभावपूर्णता पर असंशोधित राय प्रकट करता है।

कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2016 का नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संदर्भ में हमारी राय से व जहां तक जानकारी है एवं हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार :

ए. कंपनी के पास कोई भी लंबित मुकदमा नहीं है जो उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।

बी. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिससे उन्हें लागू कानून या लेखा मानकों के अंतर्गत कोई भी सामग्री की पूर्वानुमान योग्य हानि हुआ हो।

सी. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में हस्तांतरण की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि लागू हो, के हस्तांतरण में कोई विलंब नहीं हुई है।

2. जैसाकि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत के केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") द्वारा अपेक्षित है, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण को **"संलग्नक-बी"** में लागू सीमा तक देते हैं।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार
(सदस्यता सं.055467)
यूडीआईएन:21055467एएएएएसी8848

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.09.2021

लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-ए"

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के हमारे रिपोर्ट में दर्शाये गये संलग्नक।

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. (ए) कंपनी ने संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकार्डों का रख-रखाव कर रहा है जिसमें निश्चित परिसंपत्तियों की मात्रात्मक ब्यौरा एवं परिस्थिति शामिल है।

   (बी) प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर निश्चित परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है एवं ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

   सी) कंपनी अपने नाम पर कोई फ्री-होल्ड अचल परिसंपत्तियां नहीं रखती है।

2. प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर वस्तुसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है एवं ऐसे सत्यापन पर कोई भी विसंगतियां ध्यान में नहीं आई है।

3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रख-रखाव किये गये रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों अथवा अन्यान्य को सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण प्रदान नहीं किया है।

4. एमसीए द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.163(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्तानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होता है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं कंपनी अधिनियम की धारा 73 से 76 तक के प्रावधान और उसके अंतर्गत तैयार नियमों के अधीन कंपनी ने जमा राशि स्वीकार नहीं किया है।

6. कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकार्डों के रख-रखाव को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस प्रकार कंपनी पर इस आदेश के खंड 3(vi) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

7. (ए) कंपनी आयकर, ईपीएफ, ईएसआई, जीएसटी की अविवादित सांविधिक बकाया राशि एवं कोई अन्य सांविधिक बकाया राशि को सक्षम प्राधिकारी के पास साधारणत: नियमित रूप से जमा कर रहा है।

   (बी) निर्धारण वर्ष 2009-10 के 896.76 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2013-14 के 195.45 लाख रु., निर्धारण वर्ष 2018-19 के 188.29 लाख रु. एवं निर्धारण वर्ष 2019-20 के 140.42 लाख रु. की आयकर मांग आयकर प्राधिकारी के समक्ष अपील के अधीन है।

8. वर्ष के दौरान कंपनी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार के आवधिक ऋण या कर्ज अथवा डिबेंचर धारकों की बकाया राशि को चुकाने में कसूरवार नहीं है।

9. वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या दुवारा सार्वजनिक पेशकश (ऋण के साधन एवं आवधिक ऋण सहित) के माध्यम से मुद्रा प्राप्त नहीं किया है।

10. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखा-धड़ी अथवा कंपनी पर कोई धोखा-धड़ी नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्टित किया गया है।

11. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 05 जून, 2015 के शर्तानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं है।

12. कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हुए कंपनी का समस्त लेन-देन संबंधित पार्टियों के साथ हुआ है और उसका ब्यौरा दर्शाया गया है जैसाकि लागू लेखाकरण मानक द्वारा अपेक्षित है।

14. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों अथवा संपूर्ण डिबेंचरों या आंशिक बदलने योग्य डिबेंचरों का कोई भी तरजीही आबंटन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं किया है।

15. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान के अंतर्गत कंपनी ने निदेशकों अथवा उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर-नकदी लेन-देन में प्रवेश नहीं किया है।

16. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के अंतर्गत कंपनी को पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार
सदस्यता सं.055467
यूडीआईएन:21055467एएएएएसी8848

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.09.2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट का "संलग्नक-बी"

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के शर्तानुसार भारतीय पटसन निगम लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के हमारे रिपोर्ट में दर्शाये गये संलग्नक।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत सामान्य दिशा-निर्देश

क्र.सं.	दिशा-निर्देश	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1.	क्या कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखाकरण के लेन-देन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है? यदि हां, तो लेखों के साथ-साथ वित्तीय प्रभाव की सत्यनिष्ठा पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखाकरण लेन-देन की प्रक्रिया के प्रभाव यदि कोई हो, को दर्शाया जाए।	हां
2.	क्या ऋण की अदायगी में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी के लिए मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन की जा रही है या कर्ज/ऋण/ब्याज आदि के छूट/बट्टे खाते का कोई मामला है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव दर्शाया जाए।	नहीं
3.	क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्ति योग्य निधियों को इसके निबंधन और शर्तें के अनुसार उचित रूप से लेखाबद्ध/उपयोग किये गये थे? व्यतिक्रम के मामलों की सूची।	हां

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार
सदस्यता सं.055467
यूडीआईएन:21055467एएएएएसी8848

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.09.2021

स्वतंत्र लेखापरीक्षक के रिपोर्ट का "संलग्नक-सी"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित रिपोर्ट।

31 मार्च, 2021 तक का हमने भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (इसके उपरांत "कंपनी" के रूप में दर्शाया गया है) के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षा किया है जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणियों का हमारे लेखापरीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का दायित्व

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी के प्रबंधन को कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को स्थापित व रख-रखाव करने का दायित्व है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव शामिल है जो इसके व्यापार को सुव्यवस्थित रूप से एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से परिचालन हो रहे थे जिसमें कंपनी के नीतियों का अवलंबन, अपनी परिसंपत्तियों को सुरक्षित करना, धोखा-धड़ी व त्रुटियां रोकना एवं पता लगाना, लेखाकरण के रिकार्डों की शुद्धता व संपूर्णता एवं विश्वासनीय वित्तीय सूचना को सही समय से तैयार करना शामिल है जैसाकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जवाबदेही

हमारी जवाबदेही है कि अपने लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित विचार प्रकट करना। हमने आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी ("मार्ग-दर्शन की टिप्पणी") एवं लेखाकरण संबंधी मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित समझा गया के अनुसार अपने लेखापरीक्षा का संचालन किया है, जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा पर लागू है, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा पर लागू है और दोनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों एवं मार्ग-दर्शन की टिप्पणी की मांग है कि हम क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित व रख-रखाव किया गया है से संबंधित उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा के नैतिक आवश्यकताओं, प्लान एवं कार्य-निष्पादन का अनुपालन करें और ऐसी नियंत्रण सभी संदर्भों में प्रभावकारी रूप से परिचालित हुई है।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उसके परिचालन के प्रभावपूर्णता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता से

संबंधित लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य-निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ताल-मेल प्राप्त करना, जोखिम आंकना जो भौतिक कमजोरी विद्यमान है, डिजाइन का जांच व मूल्यांकन करना एवं मूल्यांकित जोखिम पर आधारित आंतरिक नियंत्रण के प्रभावपूर्णता का परिचालन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर है जिसमें वित्तीय विवरणियों के गलत विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखा-धड़ी अथवा त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमें प्राप्त लेखापरीक्षा का साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर लेखापरीक्षा की राय हेतु आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वासनीयता एवं साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों हेतु वित्तीय विवरणियों की तैयारी से संबंधित उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां एवं कार्यविधि शामिल है:

(1) उचित ब्यौरा के साथ रिकार्डों का रख-रखाव होना जो कंपनी के परिसंपत्तियों का लेन-देन व प्रबंधन को सही ढंग से व न्यायपूर्वक प्रतिविंबित करता है।

(2) उचित आश्वासन प्रदान करना जिसका लेन-देन रिकार्ड होता है जैसाकि साधारणत: स्वीकार किये गये लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणियों को तैयार करने की अनुमति के लिए आवश्यक है एवं कंपनी के प्रबंधन व निदेशकों की अनुमति के अनुसार कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च की जा रही है और

(3) कंपनी के परिसंपत्तियों का अनाधिकृत अर्जन, उपयोग अथवा प्रबंध को रोकने या सही समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव डाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों का अधिभावी, त्रुटि अथवा धोखा-धड़ी की वजह से गलत विवरणियों की संभावना शामिल करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंतर्निहित सीमाओं के कारण घटित हो सकता है और पता नहीं लगा हो। भविष्य में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अधीन है जिससे परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है अथवा जिससे नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन बिगड़ सकता है।

राय

हमारी राय से सभी मामलों में कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली का रख-रखाव किया है एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा से संबंधित मार्ग-दर्शन की टिप्पणी में दर्शाये गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित 31 मार्च, 2021 तक का प्रभावी ढंग से परिचालन किया है।

वास्ते एस. के. मल्लिक एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या : 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार
सदस्यता सं.055467
यूडीआईएन:21055467एएएएएसी8848

स्थान : कोलकाता
तिथि : 29.09.2021

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निगम पर सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा किये गये मंतव्य पर प्रबंधन का उत्तर

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
मामलों के जोर		
1.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 31 में शामिल है कि वर्ष के दौरान परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा पर अर्जित ब्याज की राशि रु.1,20,62,826/- को संबंधित परियोजना निधि में जमा किया गया है। हालांकि आयकर में ब्याज आय की पेशकश की गई है और तदनुसार कंपनी द्वारा ऐसे ब्याज पर टीडीएस का दावा किया गया है।	भापनि केवल इन परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसी है, इसलिए भापनि ऐसी आवधिक जमा राशि पर अर्जित ब्याज से उत्पन्न आय का दावा नहीं कर रहा है। चूंकि ये आवधिक जमा राशि भापनि के नाम से हैं और बैंकों द्वारा भापनि के पैन के विरूद्ध टीडीएस की कटौती की जा रही है इसलिए भापनि के खातों एवं संबंधित परियोजनाओं के खातों के बीच आवश्यक आयकर लेखांकन प्रविष्टियां पास हुई हैं। इसे पहले ही वार्षिक लेखा की टिप्पणी सं.4, 16 एवं 31 के अंतर्गत दर्शाया जा चुका है।
2.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 7 दर्शाता है कि व्यापार देय राशि रु.9,49,04,288/- (विगत जमा शेष राशि रु.5,45,26,935/-) में जमा शेष राशि रु.34,54,294/- (विगत जमा शेष राशि रु.76,485) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के रु.8.96 करोड़ (विगत वर्ष रु.3.56 करोड़) के बकाया बिल के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणदाताओं की जमा शेष राशि विगत वर्ष से अधिक था। विगत वित्तीय वर्ष की तुलना में जूट बीज की खरीद में 139% की वृद्धि होने के कारण ऐसा हुआ है। सहकारी एजेंसियों के साथ दावे का निपटान लंबित रहने के कारण तीन साल से अधिक का बकाया राशि बढ़ गया है। यह मामला पहले से ही समीक्षाधीन है और इसका समाधान प्रक्रियाधीन है और वित्तीय वर्ष 2021-22 में निपटारा होने की उम्मीद है।
3.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.4 एवं 8 दर्शाता है कि ग्राहकों से अग्रिम राशि रु.3,24,04,834/- (विगत जमा शेष राशि रु.1,32,55,809) में जमा शेष राशि रु.62,61,257/-(विगत जमा शेष राशि रु.62,13,163/-) शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	वित्तीय वर्ष 2021-22 में अधिक वाणिज्यिक विक्रय होने के कारण ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान बढ़ गया है। भापनि ने समीक्षा करने के लिए तीन वर्ष से अधिक की बकाया राशि के मामले को भी नोट किया और यथोचित समाधान के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कुछ हो तो, किये जाएंगे।

क्र. सं.	लेखापरीक्षा का मंतव्य	प्रबंधन का उत्तर
4.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.12 एवं 14 दर्शाता है कि व्यापार प्राप्य राशि रु.7,79,10,322/- (विगत जमा शेष राशि रु.17,57,60,233/-) में जमा शेष राशि रु.47,18,059/- शामिल है जो तीन वर्षों से अधिक का बकाया है।	मामले को समीक्षा करने के लिए नोट किया एवं यथोचित समाधान के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 में आवश्यक उपय किये जाएंगे।
5.	वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी सं.37 दर्शा रहा है कि अन्य पार्टियों जिन्हें वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान साफ्टवेयर की त्रुटि के कारण अधिक/गलत भुगतान हो गया था, से प्राप्ति योग्य राशि रु.9,02,589/- में से रु.2,02,613/- की वसूली हो चुकी है।	निगम ने एमएसपी के अंतर्गत कच्चे जूट की खरीद के विरूद्ध ऑनलाइन (एनईएफटी/आरटीजीएस) के माध्यम से सीधे जूट कृषकों को भुगतान का संवितरण करने की पहल की थी। इस प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अपनाया गया था और जूट कृषकों को भुगतान करने के लिए खरीद इनपुट डेटा भी संसाधित किया गया था। हालांकि, एक अनपेक्षित त्रुटि के कारण जो सामान्य जोखिमों से परे थी जिसे कंप्यूटरीकरण करते समय नहीं देखा जा सकता था, ऑनलाइन भुगतान के निष्पादन की प्रारंभिक अवधि के दौरान अज्ञात लाभार्थियों को रु.1.45 करोड़ की राशि हस्तांतरित हो गई थी। प्रबंधन ने तुरंत हमारे बैंकरों के पास यह मामला उठाया एवं राशि जो गलत लाभार्थियों को चला गया था, की वसूली करने में सतत् प्रयास किए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान रु.132.15 लाख की वसूली की गई एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 तक प्रारंभिक जमा शेष राशि रु.12.85 लाख था। इसके अलावा हमने लेखापरीक्षा के अंतर्गत चालू वर्ष के दौरान रु.3.82 लाख की वसूली की और 31.03.2021 तक अंतिम जमा शेष राशि रु.9.03 लाख था। इसके अलावा 01.04.2021 से 31.08.2021 के बीच रु.2.03 लाख की वसूली की गई। साथ ही हम शेष राशि की वसूली करने के लिए बैंकों के साथ इस मामले का लगातार अनुसरण कर रहे हैं और बकाया राशि वसूल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा ब्यौरे को लेखा की टिप्पणी सं.37 में दर्शाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्ट के कार्य-प्रणाली के अनुसार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड का वित्तीय विवरण तैयार करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इस अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक का दायित्व है कि वे स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर इस अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इस वित्तीय विवरणियों पर अपना विचार रखे जो इस अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा मानक के अनुसार हो। यह दर्शाया जाता है कि 29 सितम्बर, 2021 के उनके लेखापरीक्षा रिपोर्ट में ऐसा ही किया गया होगा।

मैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से इस अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों का अनुपूरक लेखापरीक्षा का संचालन किया हूं। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य करने वाले कागजातों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से हुआ है और यह मुख्य रूप से सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी के कर्मी के पूछताछ व कुछ लेखा रिकार्ड्स का चयनात्मक जांच तक सीमित है।

मेरे अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं इस अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा जो मेरे ध्यान में आया है और जो वित्तीय विवरण और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट को बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरे विचार से आवश्यक हैं।

तुलन-पत्र:

अन्य इक्विटी:

चालू देयताएं:

अल्पावधि का प्रावधान (टिप्पणी सं.9): 4.46 करोड़ रु.

लाभ-हानि विवरण:

व्यापारिक वस्तुओं की लागत एवं प्रत्यक्ष खर्च (टिप्पणी सं.20): 102.39 करोड़ रु.

कर से पहले लाभ: 15.99 करोड़ रु.

हलांकि कंपनी वर्ष 2020-21 के लिए बाजार समिति को 82.45 लाख रुपये की मार्केट लेवी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी परंतु कंपनी ने बाजार समितियों से प्राप्त बिलों के आधार पर वर्ष 2020-21 के दौरान 8.21 लाख रुपये का भुगतान किया। तथापि लेखा में 74.24 लाख रुपये (82.45 लाख रु. – 8.21 लाख रु.) देय मार्केट लेवी के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है।

इसका प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापारिक वस्तुओं की लागत एवं प्रत्यक्ष खर्च के साथ-साथ अल्पावधि के प्रावधान में 74.24 लाख रुपये कम दर्शाया गया है। इस संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए कर से पहले लाभ को भी 74.24 लाख रुपये अधिक दर्शाया गया है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से

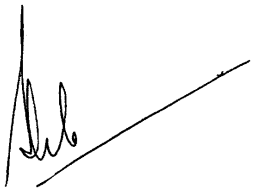

(सुपर्णा देब)
महानिदेशक लेखापरीक्षा (खान)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 29 नवम्बर, 2021

31 मार्च, 2021 तक का तुलन-पत्र

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I.	**इक्वीटी एवं देयताएं**			
	अंशधारियों की निधि			
	शेयर पूंजी	3(ए)	5,00,00,000	5,00,00,000
	आरक्षित एवं अधिशेष	3(बी)	1,50,23,61,922	1,42,70,38,582
	अप्रचलित देयताएं			
	अन्य दीर्घावधि देयताएं	4	28,62,82,106	27,21,99,174
	दीर्घावधि प्रावधान	5	11,45,85,796	12,66,11,454
	चालू देयताएं			
	अल्पावधि उधार	6	-	27,511
	व्यापारिक देय	7	9,14,49,994	5,40,59,685
	अन्य चालू देयताएं	8	23,48,26,603	17,00,07,341
	अल्पावधि प्रावधान	9	4,45,88,439	6,87,55,702
	कुल		**2,32,40,94,860**	**2,16,86,99,449**
II.	**परिसंपत्तियां**			
	अप्रचलित परिसंपत्तियां			
	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	10	2,31,70,254	2,37,36,723
	अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां	10	4,06,177	3,27,114
	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	11	57,590	24,566
	अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां	12	93,93,252	1,55,82,041
	चालू परिसंपत्तियां			
	वस्तुसूची	13	16,20,98,922	14,87,22,460
	व्यापारिक प्राप्य	14	7,23,44,930	16,38,70,698
	नकद एवं नकद समतुल्य	15	1,53,22,65,798	1,29,92,49,283
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	16	2,39,07,591	2,44,12,596
	अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	50,04,50,346	49,27,73,968
	कुल		**2,32,40,94,860**	**2,16,86,99,449**
सामान्य सूचना और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		1 & 2		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां		27 - 40		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन:09022866	डीआईएन:08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	टिप्पणी सं.	31.03.2021 को	31.03.2020 को
I.	**राजस्व**			
	परिचालन से राजस्व	18	1,49,27,59,604	1,69,25,83,066
	अन्य आय	19	5,70,25,540	6,81,67,757
	कुल राजस्व		**1,54,97,85,144**	**1,76,07,50,823**
II.	**खर्चे**			
	व्यापारिक वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष खर्च का लागत	20	1,02,39,32,689	79,46,15,418
	व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन	21	(1,33,76,462)	28,77,38,704
	कर्मचारी लाभ खर्च	22	29,22,23,188	34,10,32,011
	वित्त लागत	23	1,020	7,11,275
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्च	24	16,65,333	14,93,978
	अन्य खर्चे	25	6,17,47,308	9,93,00,365
	विविध खर्चे	26	2,36,47,728	2,29,55,834
	कुल खर्चे		**1,38,98,40,804**	**1,54,78,47,585**
	अपवादी एवं असाधारण खर्चे से पहले लाभ		**15,99,44,340**	**21,29,03,238**
	अपवादी मदें		-	-
	असाधारण मदें		-	-
	कर से पहले लाभ		**15,99,44,340**	**21,29,03,238**
	कर खर्चे:			
	वर्तमान कर		(3,84,21,000)	(5,89,48,000)
	आस्थगित कर		-	-
	कर के उपरांत लाभ		**12,15,23,340**	**15,39,55,238**
	इक्वीटी शेयर का औसतन सं. (प्रत्येक का अंकित मूल्य 100 रु.)		**5,00,000**	**5,00,000**
	मूल्य अर्जन प्रति शेयर		243	308
	मिश्रित अर्जन प्रति शेयर		243	308
सामान्य सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां		1&2		
वित्तीय विवरण की अन्य टिप्पणियां		27-40		

उपरोक्त फार्म में दर्शायी गयी टिप्पणियां इस वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन:09022866	डीआईएन:08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	2020-2021	2019-2020
ए	**परिचालन के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	कर एवं पूर्व अवधि के समायोजन से पहले लाभ/(हानि)	15,99,44,340	21,29,03,238
	समायोजन हेतु:		
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे	16,65,333	14,93,978
	ब्याज आय	(4,66,23,748)	(5,40,62,862)
	वित्तीय लागत	1,020	7,11,275
	कार्यकारी पूंजी के परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	11,49,86,945	16,10,45,629
	वस्तुसूची में (बढ़ोतरी)/कमी	(1,33,76,462)	28,77,38,704
	विविध देनदारों में (बढ़ोतरी)/कमी	9,15,25,768	2,57,31,425
	ऋण एवं अग्रिम राशि में (बढ़ोतरी)/कमी	1,75,11,174	(4,75,26,313)
	देयताओं एवं प्रावधानों में बढ़ोतरी/(कमी)	7,97,04,367	(16,52,97,620)
		29,03,51,792	26,16,91,825
	बाद: भुगतान किये गये आय कर	(6,51,04,015)	(3,66,55,518)
	परिचालन के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**22,52,47,777**	**22,50,36,307**
बी	**निवेश के क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों का क्रय	(11,86,112)	(3,54,930)
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों की बिक्री/वसूली	8,185	1,140
	प्राप्त ब्याज	4,66,23,748	5,40,62,862
	निवेश के क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**4,54,45,821**	**5,37,09,072**
सी	**वित्तीय क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	ली गई/अल्पावधि ऋण (चुकाया गया)	(27,511)	(5,00,002)
	वित्तीय लागत	(1,020)	(7,11,275)
	वितरण कर सहित भुगतान किये गये लाभांश	(4,62,00,000)	(4,19,53,240)
	वित्तीय क्रिया-कलापों से शुद्ध नकद प्रवाह	**(4,62,28,531)**	**(4,31,64,517)**
	नकद एवं नकद के समतुल्य में शुद्ध बढ़ोतरी/कमी	22,44,65,067	23,55,80,862
	वर्ष के प्रारंभ में नकद एवं नकद के समतुल्य	1,07,70,72,065	84,14,91,203
	वर्ष के अंत में नकद एवं नकद के समतुल्य	**1,30,15,37,132**	**1,07,70,72,065**

हमारे उस तिथि के रिपोर्ट के अनुसार

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

(सौमित्र घोष)
साझेदार
(सदस्यता सं.055467)

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(अभिक साहा)
कंपनी सचिव

(अमिताभ सिन्हा)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन:09022866

(अजय कुमार जॉली)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29.09.2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणी

(राशि रुपये में)

	ब्यौरा	2020-2021	2019-2020
1	**नकद एवं नकद के समतुल्य**		
	तुलन-पत्र के अनुसार - नकद एवं नकद के समतुल्य	1,53,22,65,798	1,29,92,49,283
	बाद: नकद, बैंक एवं सावधि जमा		
	रेटिंग टैंक (भारत सरकार)	76,13,076	72,96,378
	बायो-टेक्नोलॉजिकल रेटिंग टेक्नोलॉजी	1,17,305	1,17,305
	आईजेएसजी	14,60,630	14,32,109
	भारत सरकार से रिबनर का विकास	1,25,25,307	1,19,98,500
	जूट टेक्नोलॉजी मिशन	20,90,12,348	20,13,32,926
	कुल नकद एवं नकद के समतुल्य	**1,30,15,37,132**	**1,07,70,72,065**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

टिप्पणी :

1. सामान्य सूचना

वस्त्र मंत्रालय (एमओटी के अंतर्गत भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (भापनि), सीपीएसई की स्थापना भारत में कच्चे जूट के एमएसपी क्रिया-कलाप करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए 1971 में हुआ। प्रारंभ में भापनि ने छोटे व्यापार एजेंसी के रूप में अपना क्रिया-कलाप प्रारंभ किया किंतु इसके उपरांत धीरे-धीरे इसने भारत के जूट उगाही क्षेत्रों में अपने नेटवर्क का विस्तार किया और अभी यह सफलतापूर्वक भारत के 6 राज्यों (पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, त्रिपुरा, ओडिशा एवं आंध्रप्रदेश) में फैला हुआ है। भापनि अपने 119 विभागीय क्रय केंद्र एवं 14 क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय लीड डीपीसीज के साथ-साथ कोलकाता में प्रधान कार्यालय के माध्यम से क्रिया-कलाप करता है।

भापनि जूट की खरीद करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलापों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार है एवं वह कच्चे जूट के बाजार में स्थिरता लानेवाला एजेंसी के रूप में कार्य करता है। भापनि के मूल्य समर्थन क्रिया-कलापों में एमएसपी पर कृषकों, सामान्यत: छोटे एवं उपांतिक (मार्जिनल) कृषकों से कच्चे जूट की खरीददारी करना शामिल है जो किसी मात्रात्मक सीमा के बिना है और जब कच्चे जूट का चालू बाजार मूल्य एमएसपी स्तर पर रहता है। ये क्रिया-कलापें अधिक आपूर्ति को रोकते हुए बाजार में कल्पित बफर को सृजित करने में मदद करते हैं ताकि कच्चे जूट के मूल्यों में अंतर-मौसमी चंचलता रुक सके। यह जमीनी मूल्य भी प्रदान करता है जिसपर जूट कृषक अपने उत्पाद को बेच सके।

न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रिया-कलाप (एमएसपी) के अलावा भापनि कच्चे जूट का वाणिज्यिक क्रिया-कलाप, विविध जूट उत्पादों में व्यापार एवं प्रमाणित जूट बीज का वितरण भी करता है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

2.1 लेखाकरण का आधार और वित्तीय विवरणियों की तैयारी

लेखा को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 एवं उससे संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लागू भारतीय लेखाकरण सिद्धांत, लागू लेखाकरण मानकों के साथ सभी सामग्री में अनुपालन करने के लिए तैयार किया गया है। सभी परिसंपत्तियों एवं देयताओं को निगम के सामान्य परिचालन परिधि एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में विस्थापित अन्य मानदंड के अनुसार चालू अथवा गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरणियों को ऐतिहासिक लागत रिवाज के अंतर्गत एकीकृत के आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणियों की तैयारी करने में अपनाये गये लेखाकरण नीतियां विगत वर्ष के समान हैं।

2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण एवं मूल्यह्रास:

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) को मूल्यह्रास बाद कर अर्जन के लागत पर दिखाया गया है।

ii) लीजहोल्ड परिसर की लागत को लीज की अवधि में परिशोधित किया गया है।

iii) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निर्धारित दर एवं उसी भांति से सीधे तौर पर लीजहोल्ड परिसर के अलावा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) संबंधी मूल्यह्रास को दिखाया गया है।

iv) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) के अंतर्गत कंप्यूटर में अंतिम उपयोगकर्ता डिवाइस के रूप में मोबाइल फोन शामिल हैं।

2.3 अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां और परिशोधन

i) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां जैसे कंप्यूटर साफ्टवेयर आदि जैसाकि भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखाकरण मानक (एएस 26) में परिभाषित किया गया है को परिशोधन बाद कर अर्जन के लागत पर दर्शाया गया है।

ii) अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी एएस 26 के अनुरूप उसके व्यवहारिक जीवन पर विचार करते हुए पांच वर्ष से दस वर्ष तक के लिए सीधे लाइन पर परिशोधित किया गया है।

2.4 वस्तुसूचियां

i) क्रय किये गये कच्चे जूट के स्टॉक का कीमत इसके वजन का औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य कीमत, जो भी कम हो, पर की जाती है।

ii) जूट विविध वस्तुओं का कीमत उसकी लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iii) जूट बीज का कीमत उसकी औसतन लागत या शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है।

iv) लेखा में कच्चे जूट के स्टॉक की मात्रा को 180 किलोग्राम प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

2.5 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद जिसमें नकद हाथ में, बैंकों में जमा शेष राशि जो नकद राशि में परिवर्तनीय पढ़ा जाता है, सम्मिलित है और वह परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन है।

2.6 नकद प्रवाह विवरण

अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए नकद प्रवाहों का रिपोर्ट किया जाता है जिसके द्वारा अपवादी एवं असाधारण मदों व कर से पहले नकद प्रवृति के लेन-देन के लिए लाभ को समायोजित किया जाता है। उपलब्ध सूचना के आधार पर नकद प्रवाह निगम के परिचालन, निवेश एवं वित्तीय क्रिया-कलापों से अलग रहता है एवं लेखाकरण मानक 3 का अनुपालन किया जाता है।

2.7 कर्मचारियों को लाभ

i) ग्रेच्युटी

ए) नियमित कर्मचारीगण

निगम भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ग्रुप ग्रेच्युटी निधि में नियमित अंशदान करता है एवं इस निधि से नियमित कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देयता दी जाती है।

बी) आकस्मिक कर्मचारीगण, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारीगण

निगम ने वास्तविक मूल्य के आधार पर वित्तीय विवरण में आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारियों के ग्रेच्युटी हेतु देयता प्रदान करता है एवं निगम द्वारा आकस्मिक कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृति पर ग्रेच्युटी देयताएं दी जाती है।

सभी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देय है जिसका अधिकतम सीमा 20 लाख रु. है। कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु 58 वर्ष है। भविष्य में होनेवाली वेतन वृद्धि को लेखा में दर्शाया जाता है जब देयता की गणना की जाती है। मंहगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी को बीमांकिक मूल्यांकन में उचित ढंग से विचारा गया है। बीमांकिक मूल्यांकनों में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

ii) छुट्टी भुनाने का लाभ (अनिधिक)

निगम नियमित कर्मचारियों को वास्तविक मूल्य के आधार पर सेवानिवृत होने पर वर्तमान कर्मचारियों की छुट्टी भुनाने के लाभ को वित्तीय विवरणी में अंतिम तिथि पर देयता प्रदान करता है।

वास्तविक मूल्य में अंगीकार एवं व्यवहार किये गये कार्य-प्रणाली लेखाकरण मानक 15 (2005 में संशोधित) के आवश्यकतानुसार विद्यमान है।

iii) कर्मचारियों को भविष्यनिधि और परिवार पेंशन निधि

भविष्यनिधि एवं पेंशन निधि के अंशदान को उस अवधि के लिए मान्यता दी जाती है जिस अवधि के दौरान कर्मचारियों ने सेवा दी है। भविष्यनिधि के अंशदान भारतीय पटसन निगम लि. के अंशदायी भविष्यनिधि ट्रस्ट के पास जमा होता है। कर्मचारियों के भविष्यनिधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधान के अनुसार पेंशन निधि के अंशदान क्षेत्रीय भविष्यनिधि आयुक्त के पास जमा होता है।

iv) छुट्टी यात्रा रियायत

जब कभी कर्मचारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत का दावा किया जाता है तब उसे लेखा में दर्शाया जाता है।

2.8 राजस्व अभिज्ञान:

वित्तीय विवरण तैयार करने में आय/व्यय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है जिस वर्ष उस राशि की वसूली/भुगतान साधारणतया निश्चित मालूम पड़ता है और/या निपटाई जाती है। निम्निलिखित मामलों के लिए आय/व्यय की मान्यता वास्तविक वसूली/या निपटान पर दी गई है।

(ए) लिखित ऋणों पर ब्याज की आय यदि कुछ हो।

(बी) कर्मचारियों को अग्रिम पर ब्याज यदि कुछ हो।

(सी) बीमा कंपनियों एवं अन्य एजेंसियों के पास दर्ज की गई अस्थायी दावे यदि कुछ हो।

(डी) ढुलाई लागत यदि कुछ हो।

(ई) एमएसपी क्रिया-कलाप के लिए सरकार से आर्थिक सहायता को उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिस वर्ष सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाता है, यदि वह अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने से पहले प्राप्त होता है। यदि आर्थिक सहायता का सरकारी अनुमोदन उस वर्ष के लेखा का अंतिम रूप देने के उपरांत प्राप्त होता है तब लेखा में उचित टिप्पणी के साथ उसे अनुमोदन प्राप्त होनेवाले वर्ष में दर्शाया जाता है।

(एफ) बाजार लेवी को लेखा में दर्शाया जाता है जब उसकी मांग संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में नियमक बाजार समिति द्वारा उठाया जाता है।

2.9 वेतनमान का संशोधन करने के लिए देयता

कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में संशोधन/बढ़ोतरी करने के लिए देयता को उस वर्ष में ही मान्यता दी जाती है जिस वर्ष सरकार उसे अनुमोदित करता है तथा/या निगम को अधिसूचित करता है।

2.10 पूर्व अवधि का समायोजन

विगत वर्ष से संबंधित 10,000 रु. से अधिक का व्यक्तिगत लेन-देन को पूर्व अवधि का समायोजन लेखा के अंतर्गत दिखाया गया है।

2.11 चालू एवं आस्थगित कर हेतु प्रावधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अंतर्गत स्वीकार योग्य लाभ पर विचार करने के उपरांत चालू कर के लिए प्रावधान बना है।

आस्थगित कर को वर्ष के कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के बीच अंतर होने की वजह से समय के अंतर पर मान्यता दी जाती है और संभवत: एक या उससे अधिक वार आगामी अवधि में उल्टा हो जाता है (एएस 22 के अनुरूप)।

2.12 परिसंपत्तियों की हानि

परिसंपत्ति को खराब के रूप में समझा गया जब परिसंपत्तियों को ढुलाई लागत उसकी वापसी योग्य कीमत से अधिक हो गया। हानि को वर्ष के लाभ-हानि खाता में दिखाया गया है जिसमें परिसंपत्ति को खराब के रूप में चिह्नीत किया गया है। यदि वापसी योग्य कीमत का आकलन करने में परिवर्तन हुआ है तो लेखाकरण अवधि के पूर्व मान्यता दी गई हानि में उलट-फेर हुई है।

2.13 प्रावधान, प्रासंगिक देयताएं एवं प्रासंगिक परिसंपत्तियां

विगत घटनाओं के फलस्वरूप जब वर्तमान दायित्व रहता है तब मापने में अनुमान की पर्याप्त डिग्री को शामिल करते हुए प्रावधान को मान्यता दी जाती है एवं यह संभव है कि यह संसाधन से बाहर होगा। प्रासंगिक देयताओं को मान्यता दी गई है एवं उसे टिप्पणी में दिखाया गया है। प्रासंगिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी गई है न ही वित्तीय विवरणियों में दिखलाया गया है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

3(ए). : शेयर पूंजी

ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
प्राधिकृत				
100 रु. के प्रत्येक शेयर की 5,00,000 इक्वीटी शेयर		5,00,00,000		5,00,00,000
		5,00,00,000		**5,00,00,000**
जारी, अभिदत्त एवं चुकता				
100 रु. के प्रत्येक शेयर की संपूर्ण चुकता 5,00,000 इक्वीटी शेयर		50,000,000		50,000,000
		50,000,000		**50,000,000**
(ए) वर्ष की समाप्ति पर बकाया इक्वीटी शेयरों का समाधान				
	शेयरों की सं.	**राशि**	**शेयरों की सं.**	**राशि**
वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	5,00,000	5,00,00,000	5,00,000	5,00,00,000
वर्ष के दौरान जारी किये गये शेयर	-	-	-	-
बाद: वर्ष के दौरान खरीदे गये शेयर	-	-	-	-
वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेयर	**5,00,000**	**5,00,00,000**	**5,00,000**	**5,00,00,000**

(बी)	**इक्वीटी शेयरों के साथ संलग्न नियम और अधिकार** कंपनी के पास केवल एक ही श्रेणी की इक्वीटी शेयर है जिसमें शेयर होल्डरों को शेयर के अनुरूप वोट देने का अधिकार है।	**शेयर होल्डर का नाम**	**31 मार्च, 2021 तक**		**31 मार्च, 2020 तक**	
(सी)	**कंपनी में 5% शेयरों से अधिक रखने वाले शेयर होल्डरों का ब्यौरा**	**भारत के राष्ट्रपति**	**शेयर की सं.**	**होल्डिंग का %**	**शेयर की सं.**	**होल्डिंग का %**
			499998	**99.99%**	**499998**	**99.99%**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

3बी. : आरक्षित एवं अधिशेष

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	अधिशेष				
	विगत तुलन-पत्र के अनुसार	1,42,70,38,582		1,31,50,36,584	
	योग : इस वर्ष का लाभ/(हानि)	12,15,23,340		15,39,55,238	
		1,54,85,61,922		1,46,89,91,822	
	बाद : प्रदत्त लाभांश	4,62,00,000		3,48,00,000	
	बाद : प्रस्तावित लाभांश का भुगतान करने पर लाभांश वितरण कर	-		71,53,240	
			1,50,23,61,922		1,42,70,38,582
	शुद्ध अधिशेष		**1,50,23,61,922**		**1,42,70,38,582**

4.: अन्य दीर्घावधि देयताएं

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	परियोजना निधि में जमा शेष राशि				
	रेटिंग टैंक (भारत सरकार)		76,13,076		72,96,378
	बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग टेक्नोलॉजी		1,17,305		1,17,305
	आई जे एस जी		14,60,630		14,32,109
	भारत सरकार से रिबनर का विकास		1,25,25,307		1,19,98,500
	जूट टेक्नोलॉजी मिशन		20,90,12,348		20,13,32,926
	अन्यान्य गैर-प्रचलित देयताएं				
	विविध लेनदार		34,54,294		4,67,250
	बयाना राशि जमा		17,04,223		12,14,594
	प्रतिभूति जमा राशि		9,59,809		3,69,849
	व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता		3,61,72,219		3,47,55,462
	ग्राहकों से अग्रिम		62,61,257		62,13,163
	जेटीएम से अग्रिम		10,27,011		10,27,011
	पायलट प्रोजेक्ट्स खाता		47,748		47,748
	प्रोजेक्ट डेकोर्टिकेटर मशीन		10,88,417		10,88,417
	प्रोजेक्ट संतृप्ति		48,38,462		48,38,462
	कुल		**28,62,82,106**		**27,21,99,174**

5 दीर्घावधि प्रावधान

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान				
	ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)		3,81,45,869		3,41,51,722
	छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)		7,64,39,927		9,24,59,732
	कुल		**11,45,85,796**		**12,66,11,454**

6 अल्पावधि उधार

	अन्य दीर्घावधि देयताएं	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	भारतीय सेंट्रल बैंक से नकदी ऋण		-		27,405
	पंजाब नेशनल बैंक से नकदी ऋण		-		106
	कुल		**-**		**27,511**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

7. व्यापारिक देय

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	विविध लेनदार		9,14,49,994		5,40,59,685
			9,14,49,994		**5,40,59,685**

8. अन्य चालू देयताएं

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	बयाना राशि जमा		40,08,452		1,59,77,601
	प्रतिभूति जमा राशि		1,11,36,931		15,68,069
	प्रतिधारण राशि		70,56,085		58,38,025
	भविष्य निधि देय		58,08,717		49,70,908
	व्यय एवं अन्य देय हेतु देयता		9,97,57,802		12,89,85,329
	परियोजना निधि में जमा शेष राशि				
	परियोजना आई-केयर		7,46,26,573		-
	ग्राहकों से अग्रिम		2,61,43,577		70,42,646
	देय दावे		62,88,466		56,24,763
			23,48,26,603		**17,00,07,341**

9. अल्पावधि प्रावधान

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	कर्मचारी के लाभ के लिए प्रावधान:				
	बोनस	11,64,278		11,50,000	
	छुट्टी का वेतन (नियमित कर्मचारी)	3,21,42,121		4,48,58,928	
	ग्रैच्युटी (आकस्मिक कर्मचारी)	1,12,82,040		1,81,03,236	
			4,45,88,439		6,41,12,164
	आय कर के लिए प्रावधान				
	विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	-		70,45,11,846	
	वर्ष के दौरान योग	-		6,31,69,784	
		-		76,76,81,630	
	बाद : अग्रिम कर प्रदत्त	-	-	76,30,38,092	46,43,538
			4,45,88,439		**6,87,55,702**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

10. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(राशि रुपये में)

मूर्त परिसंपत्ति	कुल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	31.03.2020 को	योग	लोप/ समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2020 को	योग वर्ष के लिए	लोप/ समायोजन	31.03.2021 को	31.03.2021 को	31.03.2020 को
पट्टे पर परिसर	2,59,98,440	-	-	2,59,98,440	52,73,720	2,75,546	-	55,49,266	2,04,49,174	2,07,24,720
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	46,34,202	12,390	925.00	46,45,667	43,22,250	41,316	925	43,62,641	2,83,026	3,11,952
कार्यालय का सामान	16,56,295	92,542	-	17,48,837	14,14,332	73,494	-	14,87,826	2,61,011	2,41,963
डीपीसी का सामान	17,22,307	-	-	17,22,307	8,83,842	57,397	-	9,41,239	7,81,068	8,38,465
कंप्यूटर	78,47,249	9,06,930	65,300	86,88,879	63,18,730	10,96,183	57,115	73,57,798	13,31,081	15,28,519
विद्युत संस्थापन	4,95,688	-	-	4,95,688	4,66,666	903	-	4,67,569	28,119	29,022
वातानुकूलित यंत्र	6,00,045	-	-	6,00,045	5,37,963	25,307	-	5,63,270	36,775	62,082
साइकिलें	1,32,357	-	-	1,32,357	1,32,357	-	-	1,32,357	-	-
कुल (ए)	**4,30,86,583**	**10,11,862**	**66,225**	**4,40,32,220**	**1,93,49,860**	**15,70,146**	**58,040**	**2,08,61,966**	**2,31,70,254**	**2,37,36,723**
अमूर्त परिसंपत्ति										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	5,58,088	-	-	5,58,088	2,30,974	88,549	-	3,19,523	2,38,565	3,27,114
वेबसाइट	-	1,14,750	-	1,14,750	-	5,451	-	5,451	1,09,299	-
ट्रेड मार्क	-	59,500	-	59,500	-	1,187	-	1,187	58,313	-
कुल (बी)	**5,58,088**	**1,74,250**	**-**	**7,32,338**	**2,30,974**	**95,187**	**-**	**3,26,161**	**4,06,177**	**3,27,114**
चालू वर्ष (ए+बी)	**4,36,44,671**	**11,86,112**	**66,225**	**4,47,64,558**	**1,95,80,834**	**16,65,333**	**58,040**	**2,11,88,127**	**2,35,76,431**	**2,40,63,837**
विगत वर्ष	4,33,12,565	3,54,930	22,824	4,36,44,671	1,81,08,540	14,93,978	21,684	1,95,80,834	2,40,63,837	2,52,04,025

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

11. दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	प्रतिभूति जमा राशि		57,590		24,566
			57,590		**24,566**

12. अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	गैर-चालू - व्यापारिक प्राप्य				
	असुरक्षित एवं खारा समझा गया	51,80,905		1,14,11,025	
	(असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया)	3,84,487		4,78,510	
	संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	(3,84,487)	51,80,905	(4,78,510)	1,14,11,025
	अन्य पार्टियों को अग्रिम				
	असुरक्षित एवं खारा समझा गया	42,12,347		41,71,016	
	असुरक्षित एवं संदेहास्पद समझा गया	5,38,788		6,94,312	
	बाद : रखे गये प्रावधान	(5,38,788)	42,12,347	(6,94,312)	41,71,016
			93,93,252		**1,55,82,041**

13. वस्तुसूची

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	कच्चा जूट - मूल्य समर्थन		1,46,82,236		7,27,28,889
	कच्चा जूट - वाणिज्यिक		11,24,52,284		6,78,92,526
	जूट बीज		3,14,34,920		53,24,040
	जूट विविध उत्पाद		35,29,482		27,77,005
			16,20,98,922		**14,87,22,460**

14. व्यापारिक प्राप्य

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	(असुरक्षित, खारा समझा गया)				
	छ: महीने से अधिक का बकाया ऋण	-		1,61,55,468	
	अन्यान्य	7,23,44,930	7,23,44,930	14,77,15,230	16,38,70,698
			7,23,44,930		**16,38,70,698**

15. नकद एवं नकद के समतुल्य

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	नकद एवं नकद के समतुल्य				
	बैंक में जमा शेष राशि :				
	चालू खाते में		8,33,41,221		20,69,05,811
	बचत खाते में		10,38,99,256		7,05,35,676
	सावधि जमा खाते में		1,34,30,47,902		1,01,96,93,739
	हाथ में नकद		19,77,419		21,14,057
			1,53,22,65,798		**1,29,92,49,283**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

16. अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	नकद या इसी प्रकार में या प्राप्त होनेवाले मूल्य के लिए वसूली योग्य अग्रिम राशि				**-**
	स्टॉफ को अग्रिम		4,42,789		5,20,376
	अन्य पार्टियों को अग्रिम				
	असुरक्षित एवं खारा समझा गया		15,89,918	-	23,94,868
	प्रीपेड खर्चे		33,48,102		33,76,992
	परियोजना आई-केयर		-		1,81,20,360
	अग्रिम आय कर	82,81,42,107		-	
	बाद : आय कर के लिए प्रावधान				
	विगत लेखानुसार जमा शेष राशि	(76,76,81,630)		-	
	वर्ष के दौरान योग	(4,19,33,695)		-	
		(80,96,15,325)	1,85,26,782	-	-
			2,39,07,591		**2,44,12,596**

17. अन्य चालू परिसंपत्तियां

	ब्यौरा	31.03.2021 को		31.03.2020 को	
	अर्जित ब्याज किंतु बकाया नहीं		45,64,830		28,56,080
	भारत सरकार से प्राप्ति योग्य आर्थिक सहायता		49,49,00,000		45,99,00,000
	प्राप्ति योग्य बीमा दावे		9,85,516		3,00,17,888
			50,04,50,346		**49,27,73,968**

18. संचालन से राजस्व

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	विक्रय - मूल्य समर्थन	11,65,98,037	85,48,20,393
	विक्रय - वाणिज्यिक	94,87,65,733	36,24,85,392
	विक्रय - जूट विविध उत्पाद	1,93,20,665	2,28,81,768
	विक्रय - जूट बीज	8,15,82,646	3,92,53,522
	बाद : दावे का भुगतान किया गया	(85,07,477)	(7,58,009)
	कुल	**1,15,77,59,604**	**1,27,86,83,066**
18.1	**अन्य संचालन वाले राजस्व**		
	भारत सरकार से आर्थिक सहायता (एमएसपी)	33,50,00,000	41,39,00,000
	कुल	**1,49,27,59,604**	**1,69,25,83,066**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

19. अन्य आय

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	ब्याज आय	4,66,23,748	5,40,62,862
	ढुलाई लागत (मूल्य समर्थन)	2,85,957	36,83,495
	देयता को अब लिखने की आवश्यकता नहीं	25,40,034	-
	बीमा दावे	46,31,406	11,39,921
	विविध आय	14,77,462	34,96,853
	पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)	14,66,933	57,84,626
	कुल	**5,70,25,540**	**6,81,67,757**

20. व्यापारिक वस्तुओं एवं प्रत्यक्ष खर्चों का लागत

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	क्रय		
	कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	3,28,67,052	56,24,09,090
	कच्चा जूट - वाणिज्यिक	84,73,81,345	13,63,89,807
	विविध जूट उत्पाद	1,78,60,622	2,22,20,802
	जूट बीज	10,39,47,540	4,34,46,600
	उप कुल (ए)	**1,00,20,56,559**	**76,44,66,299**
	प्रत्यक्ष खर्चे		
	संचालन खर्चे	2,08,31,482	2,40,99,485
	कर एवं लेवी	10,44,648	60,49,634
	उप कुल (बी)	**2,18,76,130**	**3,01,49,119**
	कुल	**1,02,39,32,689**	**79,46,15,418**

21. व्यापारिक वस्तुओं की वस्तुसूची में परिवर्तन

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	प्रारंभिक स्टॉक		**-**
	कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	7,27,28,889	26,00,01,715
	कच्चा जूट - वाणिज्यिक	6,78,92,526	17,32,48,126
	जूट बीज	53,24,040	24,43,834
	विविध जूट उत्पाद	27,77,005	7,67,489
	कुल	**14,87,22,460**	**43,64,61,164**
	अंतिम स्टॉक		
	कच्चा जूट - मूल्य समर्थन	1,46,82,236	7,27,28,889
	कच्चा जूट - वाणिज्यिक	11,24,52,284	6,78,92,526
	जूट बीज	3,14,34,920	53,24,040
	विविध जूट उत्पाद	35,29,482	27,77,005
	कुल	**16,20,98,922**	**14,87,22,460**
	शुद्ध (वृद्धि)/कमी	**(1,33,76,462)**	**28,77,38,704**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

22. कर्मचारी हित खर्चे

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	वेतन एवं भत्ते	14,65,68,486	17,87,31,959
	मजदूरी	7,30,05,823	6,72,02,124
	निदेशकों का पारिश्रमिक	44,52,764	33,62,348
	बोनस	5,16,187	5,35,956
	किराया आवासीय	4,27,000	1,28,600
	पेंशन निधि में निगम का अंशदान	44,60,227	44,98,164
	ग्रेच्युटी निधि में निगम का अंशदान	3,52,46,754	1,46,93,299
	भविष्य निधि में निगम का अंशदान	1,29,13,685	1,66,64,566
	ईएसआई में निगम का अंशदान	5,38,446	1,51,812
	स्टाफ कल्याण खर्चे	44,29,828	49,16,480
	सेवानिवृत्ति पर छुट्टी भुनाने का लाभ	30,71,844	4,13,36,798
	चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति	63,26,515	81,34,763
	सीपीएफ का प्रशासनिक प्रभार	2,45,953	3,04,914
	अवकाश यात्रा व्यय	19,676	3,70,228
	कुल	**29,22,23,188**	**34,10,32,011**

23. वित्तीय लागत

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	नकद ऋण पर ब्याज	1,020	7,11,275
	कुल	**1,020**	**7,11,275**

24. मूल्यह्रास एवं परिशोधन खर्चे

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	मूल्यह्रास	16,65,333	14,93,978
	कुल	**16,65,333**	**14,93,978**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण की टिप्पणियां

(राशि रुपये में)

25. अन्य खर्चे

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	छपाई एवं लेखन सामग्री	7,69,807	15,62,885
	विद्युत प्रभार	12,61,025	18,52,292
	भाड़ा	16,60,908	23,45,316
	गोदाम भाड़ा एवं भंडारण	1,27,03,660	1,37,70,331
	मरम्मत एवं नवीनीकरण	30,52,947	50,96,266
	कार्यालय का रख-रखाव खर्च	5,47,584	6,32,604
	महसूल एवं कर	1,09,176	34,370
	बीमा	46,94,200	34,52,374
	यात्रा एवं यातायात	29,31,537	73,88,842
	विधि एवं पेशेवर शुल्क	18,20,170	11,27,969
	भाड़ा	2,28,59,143	3,85,51,075
	जीएसटी	2,45,542	87,529
	सांविधिक लेखापरीक्षा शुल्क	2,71,400	2,71,400
	अन्य लेखापरीक्षा शुल्क	3,34,720	1,35,220
	दूरभाष प्रभार	6,40,540	6,46,102
	डाक एवं तार	1,04,851	1,60,662
	पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	85,187	1,24,890
	मनोरंजन	37,906	1,66,568
	सम्मेलन एवं बैठक खर्चे	5,85,768	5,38,688
	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व खर्चे	34,52,250	53,18,000
	विज्ञापन एवं प्रचार	2,98,104	9,09,651
	कार खर्चे	30,50,403	36,04,680
	अनुसंधान एवं विकास	-	4,00,000
	बैंक प्रभार	2,30,480	2,32,627
	बीमा दावे	-	1,08,90,024
	कुल	**6,17,47,308**	**9,93,00,365**

26. विविध खर्चे

	ब्यौरा	31.03.2021 को	31.03.2020 को
	मानदेय एवं अन्य शुल्क	13,450	1,92,000
	क्षे.का. खर्चे एवं प्र.का. खर्चे	2,33,37,910	1,47,81,208
	सुरक्षा गार्ड खर्चे	2,96,368	79,82,626
	कुल	**2,36,47,728**	**2,29,55,834**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लेखा की टिप्पणियां

27. कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित प्रकटीकरण

i. **ग्रेच्युटी (नियमित)**

एलआईसीआई द्वारा की गई मांग के अनुसार वर्ष के दौरान निगम ने नियमित कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 2,44,64,884 रु. (विगत वर्ष 2,04,51,932 रु.) का भुगतान किया है।

ii. **ग्रेच्युटी (आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट)**

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर आकस्मिक, संविदागत, बाह्य श्रोत एवं कांटिजेंट कर्मचारियों के लिए अपना ग्रेच्युटी देयता 4,94,27,909 रु. (विगत वर्ष 5,22,54,958 रु.) प्रदान किया है। वास्तविक अंगीकार का आधार निम्न प्रकार हैं:

मूल्यांकन करने का आधार

	31.03.2021	31.03.2020
छूट की दर प्रति वर्ष (चक्रवृद्धि)	5.85%	5.00%
वेतन में वृद्धि दर	14.00%	14.00%
कर्मचारियों का कार्य जीवन अनुमानित औसतन रहेगा	19.2 वर्ष	2.20 वर्ष

iii. **छुट्टी भुनाने का लाभ**

वर्ष के दौरान निगम ने वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर नियमित कर्मचारियों के लिए उनकी छुट्टी भुनाने की देयता राशि 10,85,82,048 रु. (विगत वर्ष 13,73,18,660 रु.) प्रदान किया है।

28. प्रासंगिक देयताएं

प्रासंगिक देयताओं (महत्वपूर्ण देयताओं को छोड़कर, यदि उसपर कुछ हो तो) को लेखा में नहीं दर्शाया गया है: :

क्र. सं.		31.03.2021 रु.	31.03.2020 रु.
1.	निगम के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है।	16,31,40,273/-	16,31,40,273/-
2.	अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है।	14,20,92,730/-	10,92,21,160/-

अन्य रकम जिससे निगम प्रासंगिक रूप से दायी है, में कंपनी द्वारा विवादित आयकर की मांग की कुल राशि 1420.93 लाख रु. (विगत वर्ष 1092.21 लाख रु.) शामिल है। यह मामला निर्धारण अधिकारी/ सीआईटी(ए)/आयकर अपील न्यायाधिकरण के समक्ष सुधार करने/अपील के अधीन है एवं कंपनी अपने पक्ष में अपील का फैसला सुनने के लिए आशान्वित है।

29. सीएसआर खर्चे

कंपनी ने वर्ष के दौरान 34,52,250 रु. (विगत वर्ष 53,18,000 रु.) कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए खर्च किया है जो कंपनी के सीएसआर की नीति के अनुरूप है और उसका विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सीएसआर खर्चे - 29,52,250/- रु.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए सीएसआर खर्चे - 5,00,000/- रु.

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 46.17 लाख रु. का कुल सीएसआर बजट (विगत वर्ष 40.59 लाख रु.) है जिसमें से अव्ययित राशि 16.65 लाख रु. को वित्तीय वर्ष 2021-22 में खर्च करने की योजना बनाई गई है।

इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2019-20 के अव्ययित सीएसआर बजट की राशि 7.00 लाख रु. में से 5 लाख रु. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खर्च किए गए थे और शेष अव्ययित राशि 2 लाख रु. भी वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खर्च करने की योजना है। ।

30. माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006: माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत माइक्रो, छोटा एवं मध्यम संस्था से संबंधित प्रकटन करने की जरूरत है। तथापि किसानों/कृषकों से खरीदे जा रहे जूट को ध्यान में रखते हुए जिसका भुगतान तुरंत ही ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण के माध्यम से निपटाया जाता है, उसे खाते में अलग से प्रकटन नहीं किया गया है।

31. परियोजनाओं से संबंधित प्रकटन

ए जूट प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान हेतु:

(रु. में)

अनुदान का नाम		(31 मार्च, 2021 तक)			
		प्राप्त राशि	अर्जित ब्याज	संवितरण	बकाया शेष राशि
(ए)	जूट की गुणवत्ता में सुधार (रेटिंग टेक्नोलॉजी)	40,00,000	62,67,878	26,54,802	76,13,076
		(40,00,000)	(58,21,069)	(25,24,691)	(72,96,378)
(बी)	मैनुअल/पावर ड्राइवन रिबनर मशीन का विकास	34,00,000	1,05,84,703	14,59,396	1,25,25,307
		(34,00,000)	(98,41,465)	(12,42,965)	(1,19,98,500)
(सी)	बायो टेक्नोलॉजीकल रेटिंग	9,00,000	-	7,82,695	1,17,305
		(9,00,000)	-	(7,82,695)	(1,17,305)
(डी)	जूट प्रौद्योगिकी मिशन (जेटीएम)	60,05,00,000	18,27,29,820	57,42,17,472	20,90,12,348
		(60,05,00,000)	(17,18,97,869)	(57,10,64,943)	(20,13,32,926)

उपरोक्त परियोजनाओं से संबंधित अल्पावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज संबंधित परियोजना निधि में जमा हुआ है।

32. निदेशकों का परिश्रमिक नीचे समाविष्ट किया गया है जो लेखा से संबंधित शीर्षक के नामें हैं:

		31.03.2021 (रु.)	31.03.2020 (रु.)
ए.	वेतन	42,32,764/-	32,42,348/-
बी.	भविष्य निधि, पेंशन एवं ग्रेच्युटी में अंशदान	4,32,740/-	3,32,042/-
सी.	भाड़ा आवासीय	4,27,000/-	1,28,600/-
डी.	अन्यान्य	1,68,415/-	3,08,883/-
ई.	बैठक शुल्क	2,20,000/-	1,20,000/-
कुल		**54,80,919/-**	**41,31,873/-**

33. निगम के प्रति शेयर उपार्जन को निम्न प्रकार से परिकलित किया गया है:

	31.03.2021 (रु.)	31.03.2020 (रु.)
वर्ष का (हानि)/लाभ	12,15,23,340	15,39,55,238
इक्वीटी शेयर की सं. का औसतन वजन	5,00,000	5,00,000
प्रति शेयर उपार्जन (मूल और मिश्रित)	243	308

34. आस्थगित कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) – विगत वर्ष से डीटीए की समीक्षा को लाया गया है और चालू वर्ष में डीटीए को मान्यता दी गई है।

लेखाकरण मानक-22 (एएस 22) में प्रत्येक तुलन-पत्र की तिथि पर डीटीए की वहन राशि की आवश्यकता को विनिर्दिष्ट करता है। यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि डीटीए को मान्यता दिया जाएगा और आगे लाया जाएगा, यदि पर्याप्त कर योग्य आय सही रूप में उचित हो जिसके विरूद्ध ऐसे डीटीए को वसूला जा सके।

निगम का मुख्य उद्देश्य कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्रिया-कलाप का संचालन करना है और यह कच्चे जूट के बाजार मूल्य की अस्थिरता पर निर्भर करता है। यहां तक कि यदि एमएसपी क्रिया-कलाप होता है तो भी यह निश्चित नहीं है कि निगम एक सकारात्मक मार्जिन के साथ एमएसपी में शामिल लागत को वसूल करने में सक्षम होगा क्योंकि वह समय-समय पर लागू होने वाले सरकारी निर्णय/नीति पर पूरी तरह निर्भर है। यद्यपि भारत सरकार सामान्य रूप से एमएसपी की कुछ लागत को पूरा करने के लिए निगम को प्रीफिक्सड वार्षिक आर्थिक समर्थन प्रदान करता है लेकिन यह दोनों बुनियादी ढांचे की लागत एवं जूट की खरीद एवं संबंधित क्रिया-कलापों की लागत को पूरा करने में पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में यह सठीक रूप से कहा जा सकता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होने का कोई उचित कारण नहीं है जो किसी भी पहले का और मान्यता प्राप्त डीटीए वसूला जा सके।

35. भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन का प्रकटन निम्न प्रकार हैं:

ब्यौरा	संबंधित पार्टी का नाम
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक	1. श्री अजय कुमार जॉली, प्रबंध निदेशक
	2. श्री अमिताभ सिन्हा, निदेशक (वित्त) (10.12.2020 से)
	3. श्री अभिक साहा, कंपनी सचिव

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक):

लेन-देन की प्रवृत्ति	संबंध	राशि रु. में	
		2020-21	2019-20
वेतन (मकान किराया सहित)			
श्री अजय कुमार जॉली	प्रबंध निदेशक	41,00,717	40,11,873
श्री अमिताभ सिन्हा	निदेशक(वित्त) (10.12.2020 से)	11,60,202	
श्री अभिक साहा	कंपनी सचिव	14,60,340	13,56,098

36. व्यापार की गई सामानों से संबंधित सूचना

ब्यौरा	2020-2021			2019-2020		
	गांठ	क्विं.	राशि (रु. में)	गांठ	क्विं.	राशि (रु. में)
(ए) **क्रय**						
कच्चा जूट	91129	164033	88,02,48,397	100357	180711	69,87,98,897
जूट बीज		9631.97	10,39,47,540		6034.25	4,34,46,600
विविध जूट उत्पाद			1,78,60,622			2,22,20,802
	91129	**173664.97**	**100,20,56,559**	**100357**	**186745.25**	**76,44,66,299**
(बी) **विक्रय**						
कच्चा जूट	99043	178277	105,68,56,293	155377	279679	121,65,47,776
जूट बीज		7513.70	8,15,82,646		5512.17	3,92,53,522
विविध जूट उत्पाद			1,93,20,665			2,28,81,768
	99043	**185790.70**	**115,77,59,604**	**155377**	**285191.17**	**127,86,83,066**
(सी) **प्रारंभिक स्टॉक**						
कच्चा जूट	20625	37125	14,06,21,415	75645	136093	43,32,49,841
जूट बीज		739.45	53,24,040		383.89	24,43,834
विविध जूट उत्पाद			27,77,005			7,67,489
	20625	**37864.45**	**14,87,22,460**	**75645**	**136476.89**	**43,64,61,164**
(डी) **अंतिम स्टॉक**						
कच्चा जूट	12711	22881	12,71,34,520	20625	37125	14,06,21,415
जूट बीज		2857.72	3,14,34,920		739.45	53,24,040
विविध जूट उत्पाद			35,29,482			27,77,005
	12711	**25738.72**	**16,20,98,922**	**20625**	**37864.45**	**14,87,22,460**
(ई) **प्राप्त दावे**						
जूट बीज	0	0	0	0	166.52	13,13,510

ब्यौरा		2020-2021			2019-2020		
		गांठ	क्विं.	राशि (रु. में)	गांठ	क्विं.	राशि (रु. में)
(एफ)	**कच्चे जूट के वजन में (कमी)/वृद्धि**	(777)	(1399)	0	1216	2189	0

लेखा में स्टॉक की मात्रा को 180 कि.ग्रा. प्रति गांठ में दर्शाया गया है।

37. अन्य पार्टियों को अग्रिम में पार्टियों से प्राप्य 9,02,589 रु. को शामिल किया गया है जिसका साफ्टवेयर की त्रुटि की वजह से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अधिक/त्रुटिपूर्ण भुगतान हुआ है। अभी 2,02,613 रु. की वसूली हुई है एवं 31.08.2021 तक 6,99,976 रु. बकाया है।

38. रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर लाभांश को मान्यता नहीं दी गई है:

निदेशकगण ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अपने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को 72.92 रु. (विगत वर्ष 92.40 रु.) प्रति शेयर के हिसाब से लाभांश का भुगतान करने की संस्तुति की है। लाभांश के रूप में कुल जाने वाली राशि 3,64,60,000 रु. (विगत वर्ष 4,62,00,000 रु.) होगा। आगामी वार्षिक साधारण सभा में सदस्य का अनुमोदन प्राप्त होने पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा।

39. जहां भी जरूरत पड़ा है वहां विगत वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:व्यवस्थित किया गया है। कोष्टक में दिये गये आंकड़े विगत वर्ष के आंकड़े हैं।

40. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III के आवश्यकतानुसार दी जानेवाली अपेक्षित अन्य सूचना को शून्य पढ़ा जाए।

वास्ते **एस.के. मल्लिक एंड कं.**
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 324892ई

कृते एवं बोर्ड की ओर से

(सौमित्र घोष)	**(अभिक साहा)**	**(अमिताभ सिन्हा)**	**(अजय कुमार जॉली)**
साझेदार	कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	प्रबंध निदेशक
(सदस्यता सं.055467)		डीआईएन:09022866	डीआईएन:08427305

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 29.09.2021

अन्तर्देशीय कच्चा जूट - मूल्य समर्थन

	2020-2021		2019-2020	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	13,403	11,56,66,942	1,05,838	85,42,88,101
ढुलाई खर्च		2,85,957		36,83,495
अन्तर्देशीय कच्चा जूट वाणिज्यिक में स्थानांतरण	-	-	11,803	5,96,14,448
देयता अब बट्टे खाते में आवश्यक नहीं		25,40,034		-
ब्याज आय		4,65,47,521		5,39,80,686
बीमा दावे		16,39,450		11,39,921
विविध आय		14,77,462		34,96,853
पर्यवेक्षण प्रभार (परियोजनाओं)		10,57,882		-
सरकार से आर्थिक सहायता		33,50,00,000		41,39,00,000
वजन में कमी	783	-		-
अंतिम स्टॉक	2,084	1,46,82,236	11,740	7,27,28,889
	16,270	**51,88,97,484**	**1,29,381**	**1,46,28,32,393**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	11,740	7,27,28,889	46,303	26,00,01,715
क्रय	4,483	3,28,67,052	82,121	56,24,09,090
कर एवं लेवी		39,005		48,88,041
भाड़ा		24,44,634		2,69,56,950
परिचालन खर्चे		7,59,180		1,88,00,621
कर्मचारियों को भुगतान एवं प्रावधान		29,22,23,188		34,10,32,011
अन्य प्राशासनिक खर्चे		4,31,34,833		6,62,87,588
ब्याज एवं अन्य वित्तीय प्रभार		1,020		7,11,275
गोदाम भाड़ा एवं भंडारण		1,43,64,568		1,37,70,331
बीमा		13,20,132		20,01,687
मूल्यह्रास		16,65,333		14,93,978
जीएसटी		2,45,542		87,529
वजन में वृद्धि	47	-	957	-
शुद्ध लाभ		5,71,04,108		16,43,91,577
	16,270	**51,88,97,484**	**1,29,381**	**1,46,28,32,393**

अन्तर्देशीय कच्चा जूट - वाणिज्यिक

	2020-2021		2019-2020	
	गांठ	रु.	गांठ	रु.
आय				
विक्रय	83,945	94,11,89,351	49,539	36,22,59,675
बीमा दावे		29,91,956		
वजन में हानि	912	-	-	-
अंतिम स्टॉक	10,627	11,24,52,284	8,885	6,78,92,526
	95,484	**1,05,66,33,591**	**58,424**	**43,01,52,201**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	8,885	6,78,92,526	29,342	17,32,48,126
क्रय	85,728	84,73,81,345	17,020	13,63,89,807
अन्तर्देशीय कच्चा जूट मूल्य समर्थन से स्थानांतरण	-	-	11,803	5,96,14,448
कर एवं लेवी		10,05,643		11,61,593
भाड़ा		1,98,92,146		1,13,20,623
परिचालन खर्चे		1,95,73,237		43,83,699
बीमा		27,23,669		14,50,687
वजन में वृद्धि	871	-	259	-
शुद्ध लाभ		9,81,65,025		4,25,83,218
	95,484	**1,05,66,33,591**	**58,424**	**43,01,52,201**

जूट बीज

	2020-2021		2019-2020	
	क्विं.	रु.	क्विं.	रु.
आय				
विक्रय	7,513.70	8,15,82,646	5,512.17	3,92,53,522
प्राप्त दावे	-	-	166.52	13,13,510
सेवा प्रभार		4,09,051		44,71,116
अंतिम स्टॉक	2,857.72	3,14,34,920	739.45	53,24,040
	10,371.42	**11,34,26,617**	**6,418.14**	**5,03,62,188**
व्यय				
प्रारंभिक स्टॉक	739.45	53,24,040	383.89	24,43,834
क्रय	9,631.97	10,39,47,540	6,034.25	4,34,46,600
जूट बीज की हैंडलिंग		1,14,547.00		80
भाड़ा		4,89,502.00		
बीमा		5,55,155.00		
शुद्ध लाभ		2,995,833		44,71,674
	10,371.42	**11,34,26,617**	**6,418.14**	**5,03,62,188**

विविध जूट उत्पाद

	2020-2021	2019-2020
	रु.	रु.
आय		
विक्रय	1,93,20,665	2,28,81,768
ब्याज	76,227	82,176
अंतिम स्टॉक	35,29,482	27,77,005
शुद्ध हानि		
	2,29,26,374	**2,57,40,949**
व्यय		
क्रय	1,78,60,622	2,22,20,802
प्रारंभिक स्टॉक	27,77,005	7,67,489
परिचालन खर्चे	3,84,518	9,15,085
भाड़ा	32,861	2,73,502
अन्य खर्चे	24160	44,929
बैंक प्रभार	17,966	7,749
बीमा	95,244	0
भाड़ा एवं रख-रखाव	54,624	54,624
शुद्ध लाभ	16,79,374	14,56,769
	2,29,26,374	**2,57,40,949**